



## मजदूरों का राष्ट्रीय कन्वेशन

नई दिल्ली; 30 सितम्बर, 2019



कन्वेशन को संबोधित करते सीटी महासचिव तपन सेन;  
मंच पर मौजूद केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के नेतागण



कन्वेशन ने 8 जनवरी को राष्ट्रब्यापी आम हड़ताल की मंजूरी दी

(रिपोर्ट पृ. 4)

सीटी केन्द्र की पत्रिकाओं के लिए खबरें, रिपोर्टें, फोटो कृपया इस मेल पर भेजें—  
[citujournals@gmail.com](mailto:citujournals@gmail.com)

## 2 अगस्त देशव्यापी विरोध

(रिपोर्ट पृ.9)



वाम और डी.एम.के. सांसदों द्वारा संसद के समक्ष

## 14 अगस्त जागरण

(रिपोर्ट पृ. 10)



होशियारपुर, पंजाब



राऊरकला, ओडिशा

## 5 सितम्बर मजदूर-किसान ऐली

(रिपोर्ट पृ.11)



गुवाहाटी, असम



बेलगाम, कर्नाटक



पश्चिम प्रकाशम, आंध्र प्रदेश

# 8 जनवरी, 2020 मजदूरों की आम हड़ताल

सरकार को पीछे धकेलने, नीति बदलने के लिए विवश करने वाले संघर्षों के नए चरण का आगाज

## सीटू मजदूर

I hvkbz; v dñ cñk =

## अक्टूबर 2019

### सम्पादक मण्डल

सम्पादक  
के हेमलता  
कार्यकारी सम्पादक  
जे एस मजुमदार  
सदस्य

तपन सेन,  
एम एल मलकोटिया,  
कश्मीर सिंह ठाकुर,  
पुष्पेन्द्र त्यागी,  
एच.एस.राजपूत

### अंदर के पृष्ठों पर

etnjk dk jk"Vh; dñosku	4
ns k0; ki h fojkjk	9
dkš yk etnjk dh iwk gMrky	12
th, I Vh i j dñ fñ i kñ/	
/kks[kk/kMh dk [kylk l k	
&ts , I etenjk	14
m   kx , oa {k=	16
j kT; kñ I s	19
dkedkth efgyk, s	24
mi HkkDrk elv; I pdkd	26

: g , d enh dh vFk; oLFkk g§ mRi knu vkj I ok nkuk {k=k e vc rd dh I cl scjh fxjkoV g§ Hkj h i sekus i j uk&dfj ; k j [kRe gq h g§ [ksh fdI kuh dk I dV xgu gmk g§ vkJ cjkst xkj h 45 I ky ds I cl s Åps epke i j i gpx; h g§ bl fodjky fLFkfr es Hkj eknh I jdkj dkj i kjV dñ fu; ka dks NIV i j NIV vkJ I kskkr i j I kskkr nus es tñh g§ dñeh; ifcyd I DVj vkJ mudh I Ei fük; k j cp j gh g§ , QMhvkbz ds tfj ; s fons kh i g s i j Hkj k d dj j gh g§ ns kh&fons kh dkj i kjV dks foj KV NIV nrs gq eknh I jdkj us dkj i kjV VDI dks ?kvk dj 22% dj fn; k g§ ft I s nfu; k e I cl s de crkdj Åpkfjr fd; k tk jgk g§ bl I snšk dh jktLo vkenuh es 1 yk[k 45 gtkj djkM+ #i ; ka dks okf"kd upI ku gksxKA bl ?kkVs dh Hkj i kbz dsfy, I jdkj usdtñeh; I koñtud Afr"bkuka dh tehus cpdj] mudh I Ei fük; ka dks fBdkus yxkdj] j. kultfrd fcØh dj] 'ks j cktkj es I phc) dj rFkk mudk vkJ vf/kd fofuošk dj ds tñk, tkus okys 1 yk[k djkM+ #i ; ka dh yf{kr jkf'k dks 52]000 djkM+ c<ñkdj 1 yk[k 52 gtkj djkM+ : i ; s dj fn; k g§ bu I koñtud {k= ds Afr"bkuka vkJ fñ tozcd dsfj tozQ.M es I jdkj i gysgh I g yxk pñph g§ Hkj r dk c/kueah Hkj[k dk dVkj ydij vejhdk tkrk g§ vkJ vejhdk cgj k"Vh; dñ fu; ka l s Hkj r vkus dh xgkj yxkrk g§ mul sj {k vkJ [kuu ds {k= es fuosk dj us dh gh ugha dgrk cfYd Hkj r ds bu I Fkkuka dks gM+ us vkJ gffk; kus es vi uh futh enn dk oknk Hkj dj rk g§ bl dsfy, pkVpdkfj rk dh I kjh I hek, a ykñk dj] dñufr dh I kjh e; kkh, arkMñdj MkuYM VEi dk cktk Hkj ctkrk g§ I kjh ykt 'kje R; kx dj MkuYM VEi dk pñko cpkj rd dj rk g§

bl h ds I kfk tkMñdj etnjk vkJ egurd'k voke dh ftñxh vkJ vf/kdkj ka i j fd; s tkus okys eknh I jdkj dsgeyka dh rhork dks ns[kk tkuk pkfg, A bu foHkktrudkj h rFkk /; ku HkVdkÅ gjdrk dk , d gh , tñk g§ turk dh , drk dks fc[kj nuk rkfd og [kn dks cpkus dh yMkbz yMñs yk; d gh u cpj edkcyk u dj I dñ

tc eknh I jdkj ns k dh I a fük vkJ ck-frd I Ei nk dks I kekT; okfn; ka dks gkFk cp j gh g§ , s es Afrj {k I Fkkuka es vkJ qk fuekF.k; ka dks 98]000 deþpfj; ka dh vxLr es gq h I lrkg Hkj dh gMrky( dks yk m | kx es 100 Qhln , QMhvkbz ds Qy ys dsfo#) 5 yk[k I s vf/kd dks yk etnjk dh 24 fl rEcj dks gq h 100 Qhln I Qy gMrky us rhu vo; ok dñk I ello; fd; k g§ ; sg& etnjk dh edfEey , drk mudh gMrkyh {kerk vkJ ns k ds fgrk dh j {k dks I okñfj j [kukA

bu gMrkyh dh xgjk bñ Qyko vkJ rhork us etnjk oxz ds vkJ cM+ I a pñ I a kñk dh vkokt dks edkj rk nh g§ 30 fl ræj dks I dñ ekxz i j gq etnjk ds fo'kky tu I Eesu us bl h I Unsk dks vksx c<k; k g§ & ns k fgr es etnjk ds vksxu dks yxkrk rst I s rstrj dj rs gq es I jdkj dks i hNs gVus vkJ uhfr; ka cnyus ds fy, etcij djka

8 tuoj h] 2010 dh jk"Vh; ki h gMrky bl h I a kñk dk ekxz Á'kLr dj skhA

# मजदूरों का राष्ट्रीय कन्वेंशन

30 सितम्बर, 2019; नई दिल्ली

संसद मार्ग पर जुटे 10 हजार से ज्यादा मजदूर;

8 जनवरी, 2020 – मजदूरों की राष्ट्रब्यापी आम हड़ताल

ns k Hkj I s 10]000 I s vf/kd etnj 30 fl rEcj] 2019 dks ubz fnYh ea I d n ekx i j gq etnj ka ds jk"Vh; tu dloku e'kkfey gq A dloku dk vk^oku I Hkh m | kxka I DVjko I okvk vks pkfjd o vuk pkfjd {ks=ka ds djkmka etnj ka dk i frfuf/kRo djus okys 10 dlnh; VM ; fu; uk& b/d] , Vd] , p, e, l] I hVj , vkb; Vh; l h] Vh; l h] l ok] , DVj , yih, Q o ; Vh; l h rFkk dejkfj; ka ds yxHkx I Hkh Lora= jk"Vh; OMjskuka dh vkj I s fd; k x; k FkkA

; g dloku vkj , l , l & Hkkti kuhr eksh&2 I jdkj dh jk"Vfojk/kh] tufojk/kh ulfr; ka o Je dkuuka dks dkj i kjV ds i {k e cnyus ds fy, mBk; s x; s dneka dk i frjk/k dju{ jy o j{k l er I jdkjh bdkbz; ka ds fuxehdj.k( I phc) djus ds ek/; e I s muds fu thdj .k]dlnh; I kozfud mi deka dk vkj vf/kd fofuos k o j.kuhfrd fcdh dks ys I er j.kuhfrd {ks=ka es vknkefVd #V ds ek/; e I s 100 i fr'kr , Q Mh vkb( rFkk tEew d'ejh es o , uvkj l h t g s foHkktudkj h o vykdrkf=d o neudkj h dneka ds fo#) ( jkstxkj ds Hkkjh upI ku] c<rh cjkstxkj h rFkk tcjnLrh , ui h, l Fkki us I er oru o I kekftd I j{k dh gkfu vkn ds f[kykQ vkb; kftr fd; k x; k FkkA

dloku us bu eka ij I o Eefr I s , d ?kksk.kki = ikfjr djrs gq Qy k fd; k&

1½ 8 tuojh] 2020 dks etnj ka dh ns k0; ki h vke gMfky gkxh ( vkj ml I s i gy)

2½ vDVicj &uoEoj ea I DVjokj] jkT; o ftyk Lrj ij I a Pr dloku gkx rFkk

3½ fnl Ecj] 2019 es QDVjh] i fr"Bku o I LFkk Lrj ij 0; ki d vfk; ku o vknkykRed xfrfot/k; k tk; xh ( bl vfk; ku o xfrfot/k; ka ds ek/; e I s 21]000 #i ; s U; ure oru] I Hkh dks i ku] , u i h , I dks gVkus rFkk i jkuh i ku ; kstuk dks cgky dju{ vko' ; d oLrjvka dh eW; of) dks fu; f=r djus rFkk I kozfud forj .k izkkyh ykxw dju{ u; s jkstxkj ka dh o eatj i nka dks Hkj u{ ; kstuk dfez ka dks I jdkjh i nka ij fu; fer fd; s tku{ Bdk etnj ka dks fu; fer fd; s tku{ I eku dke ds fy, I eku oru I fuf'pr dju{ vI xfBr {ks= ds etnj ka ds dY; k.k ckvka dks etar dju{ eujxk o df"k ds fy, ctVh; i ko/kuka dks c<kus dh ekx dh tk; xhA

I hVj , Vd] , p , e , l] , vkb ; Vh ; l h] Vh ; l h] DVwo , y ih , Q ds egkl fpok riu I u] vej thr dks gHktu fl g fl ) j'kdj I kgk] th- nojktu] jktho fMejh] , e "k.keke rFkk b/d ds v'kkd fl g] I ok dh I kfu; k rFkk ; Vh ; l h ds , u ds i epnu I er nl dlnh; VM ; fu; uk ds jk'Vh; uskvka us dloku dks I akf/kr fd; ka

riu I u usnsk dsetnj oxzI sekstunk futke }jkj vkdæ. kdkjh fonsh dks muds ns kh fi Nyxvka ds I g; ksx I s ns k dks yl/s tkus dh eatjh fn; s tkus ds f[kykQ ns k dh vfk; oLFkk o i kafrd I d k/kuka dks cpkus dk vk^oku fd; k vkj Li "V dgk fd 'ns k fcdh ds fy, ugha gA\*

dlnh; VM ; fu; uk ds jk"Vh; v/; {k o usk& , e, e ; kno 1b/d/ jketlnz dejk ¼, Vd½ I h , jktkjh/kj ¼, p, e, l ¼ ds geyrk ¼ hVj vkj ds i kjk'kj ¼, vkb; Vh; l h ¼ th- vkj f'ko'kdj Vh; l h ¼ yrk ¼ ok/ l cj thr fl g ¼, DVj oh I ck^eu ¼, yih, Q½ rFkk ; Vh; l h ds 'k=qthr fl g dloku ds v/; {k e My es FkkA

## घोषणा-पत्र

मोदीनीत भाजपा सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। और देश और जनता लगातार आर्थिक मंदी का सामना कर रही हैं, निरंतर घटती नौकरियां, आसमान छूती बेरोजगारी, व्यापक और गहराती दरिद्रता, कमाई के स्तर में तेज गिरावट, अंधारुंध निजीकरण और राष्ट्रीय परिस्मतियों का विदेशीकरण व स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विनाश करते हुए गैर औद्योगिकीकरण ओर बढ़ते कदम, समाज में आर्थिक असमानता का मनहूस स्तर तक पहुँचाने पर "सब का साथ सबका विकास" का नारा एक उपहास ही है। अब, और भी बड़े अहंकार के साथ, बड़े पैमाने पर जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों और आजीविका को लक्षित करने वाली उन्ही विनाशकारी आर्थिक नीतियों को लागू किया जा रहा है, जिससे स्थिति और बिगड़ती जा रही है। और पहले से कहीं अधिक अलोकतांत्रिक तरीके से, वेज कोड बिल को पारित करना, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कामकाजी हालात पर कोड, आरटीआई एकट में इसे अपंग करने के लिए संशोधन, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम एकट में संशोधन करके इसे और भी क्रूर एवं दण्डात्मक बनाना, जमू और कश्मीर की जनता से परामर्श के बिना धारा 370 को निरस्त करना, वास्तव में उन्हें धोखा देने या एनआरसी प्रक्रिया के माध्यम से लाखों लोगों को बेघर/राज्यविहीन बनाना। अब कई भाजपा शासित राज्य, जनता को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने के लिए एनआरसी प्रक्रिया की वकालत कर रहे हैं। इस विनाशकारी प्रक्रिया का मुकाबला करने के लिए जनता की एकता कायम करना बेहद ज़रूरी है।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र फेडरेशनों और यूनियनों के 12-सूत्रीय चार्टर में प्रत्येक मँग, किसानों के संगठनों के संयुक्त राष्ट्रीय मंच द्वारा समर्थित है, और 2 सितंबर 2015, 2 सितंबर 2016 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल, संसद के समक्ष 9—11 नवंबर, 2017 को तीन दिवसीय महा-पड़ाव, 17 जनवरी 2018 को योजनाकर्मियों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल, 23 जनवरी से 23 फरवरी 2018 के बीच विभिन्न तारीखों पर लगभग सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन एवं सत्याग्रह और 8—9 जनवरी, 2019 को दो दिवसीय हड़ताल, 5 मार्च को आम चुनावों के पूर्व ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में 'वर्कर्स चार्टर' को अपनाना, आदि जैसे विभिन्न आंदोलन के माध्यम से जाहिर हुई हैं, बस इसे भाजपा सरकार द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है। 5 जुलाई को पेश किया गया बजट कॉर्पोरेट समर्थक और आम जनता विरोधी था। सरकार ने शेष दो कोडस् को शुरू करने की घोषणा की है: सामाजिक सुरक्षा पर कोड और औद्योगिक संबंधों पर कोड, कुल मिलाकर इसका मकसद कामकाजी जनता पर अत्यधिक शोषणकारी स्थितियों को लागू करना है।

केंद्र सरकार न केवल कामकाजी जनता की वास्तविक मँगों पर काम करने में विफल रही है, बल्कि अपने कॉरपोरेट आकाओं के हित में, मजदूरों के अधिकारों के खिलाफ अपनी आक्रामकता को जारी रखा है। द्विपक्षीयता और त्रिपक्षीयता को दर किनार किया गया है, श्रम कानूनों को नियोक्ता वर्ग के पक्ष में उलट-पलट किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने देश में सबसे बड़े केंद्रीय ट्रेड यूनियन, इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) को सभी प्रकार के प्रतिनिधित्व से दण्डात्मक तरीके वंचित करना जारी रखा है। जुलाई, 2015 के बाद कोई भारतीय श्रम सम्मेलन नहीं हुआ है। बजट पूर्व परामर्श एक दिखावा बन गया है।

सभी क्षेत्रों में नौकरियों की समाप्ति के साथ-साथ बढ़ती बेरोजगारी की निरंतरता, जीडीपी दरों में गिरावट, अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई आदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक मुकम्मल मंदी का खुलासा करते हैं, इन सभी को हेराफेरी के आंकड़ों के द्वारा छिपाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऑटोमोबाइल उद्योगों और सहायक कंपनियों के बंद तथा शटडाउन होने और आईटी क्षेत्र में नौकरी के भारी नुकसान का पूर्वानुमान आग में ईंधन का काम कर रहा है। सार्वजनिक परिवहन, बिजली, दवाओं आदि सहित आवश्यक वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आमतौर पर लोगों के दैनिक जीवन में मुसीबतों को बढ़ा रहे हैं, जिससे दरिद्रता व्यापक और साथ ही साथ गहरी हो रही है। सामाजिक क्षेत्र और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सरकारी खर्च में भारी कटौती ने श्रमिकों की स्थिति को, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के लोगों को अधिक खतरनाक बना दिया है।

ठेका श्रमिकों को समान काम के लिए समान वेतन और लाभों, न्यूनतम वेतन के निर्धारण और आंगनवाड़ी, मिड-डे-मील और आशा आदि योजनाकर्मियों को मजदूर का दर्जा देने के संबंध में लगातार भारतीय श्रम सम्मेलनों में बनी सर्वसम्मति की सिफारिशों (जिसमें सरकार भी एक पक्षकार थी) को लागू न करने से, सरकार का मजदूर-विरोधी अधिनायकवादी चरित्र अधिक स्पष्ट हो जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि मोदी सरकार के श्रम मंत्री ने राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के बारे में अपनी ही कमेटी (जो खुद 15वीं

आइएलसी की सिफारिशों की विरोधी है) की सिफारिशों विरुद्ध जाकर रु 4628 प्रतिमाह का हास्यास्पद आंकड़ा घोषित किया! एनईईएम, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट आदि के माध्यम से धीरे-धीरे कर्मचारियों के स्थान पर प्रशिक्षुओं को लगाने, रोजगार-संबंधों में व्यापक परिवर्तन कर गुलामी थोपना, बाल श्रम रोकथाम कानून में संशोधन कर बाल श्रम की इजाजत देना, ईएसआई के योगदान में कमी और नियोक्ताओं के हित में ईपीएफ और एमपी अधिनियम में संशोधन के लिए कदम, जिसमें ईपीएफओ और ईएसआईसीई को कॉरपोरेटाइज करने के प्रयास शामिल हैं, मजदूरों की कीमत पर ऐसे सभी मजदूर विरोधी कदमों को नियोक्ताओं को उनके व्यवसाय में आसानी के तौर पर प्रोत्साहन के रूप में उचित ठहराया गया है। सरकार ने ईपीएस, 1995 के तहत वास्तविक वेतन और महंगाई भत्ते पर पेंशन के योगदान और गणना और ‘समान काम और समान काम के लिए लाभ’ के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों को लागू करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर, सरकार मातृत्व लाभ अधिनियम और ईपीएफ अधिनियम जैसे कानूनों को लागू न करने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कर-दाताओं के धन का दुरुपयोग कर रही है।

ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में संशोधन के तौर पर एक और हमला किया गया है। सरकार का इरादा है कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की परिभाषा और कार्यपालकों के विवेक के अनुसार उनकी मान्यता प्रक्रिया में बदलाव किया जाए। ट्रेड यूनियनों के कामकाज और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की भी सरकार की मंशा है।

रक्षा उत्पादन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और बीमा और रेलवे, सार्वजनिक सड़क परिवहन, बंदरगाहों, कोयला, बिजली, इस्पात, पेट्रोलियम आदि सहित सभी सामरिक सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी क्षेत्र का विनिवेश, रणनीतिक बिक्री के माध्यम सहित विभिन्न मार्गों के माध्यम से निजीकरण के लिए सरकार ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। दिन-प्रतिदिन निजी क्षेत्र के पक्ष में आउटसोर्सिंग, रक्षा, रेलवे, कोयला, और कई महत्वपूर्ण, रणनीतिक क्षेत्रों में 100 प्रतिशत एफडीआई को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़ रहा है। ऐसे इंडिया, बीएसएनएल, एमटीएनएल को जानबूझकर और कमज़ोर करने के लिए उन्हें बराबरी से काम करने की अनुमति नहीं देने के कारण, मानवीय तकलीफों (महीनों से कोई वेतन नहीं) के साथ पूरी उपेक्षा करके विनाशकारी उत्साह के साथ कमज़ोर किया जा रहा है। कॉरपोरेट्स को कर रियायतों के कारण होने वाले बजटीय घाटे की भरपाई के लिए आरबीआई के भंडार को लूटना उसकी अर्थव्यवस्था को और अस्थिर करने वाला है। रक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कदम को वास्तव में स्वदेशी अनुसंधान पहल और विनिर्माण क्षमता को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है, जो राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात है। हथियारों और महत्वपूर्ण उपकरणों सहित 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादों को आउटसोर्स करने की संदिग्ध योजना, अंततः निजीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए आयुध कारखानों को कॉरपोरेटाइज करने के लिए कदम दर कदम किया जा रहा है। रेलवे का पूरा निजीकरण, कदम दर कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। रेलवे द्वारा निर्मित मौजूदा पटरियों पर निजी ट्रेनों का संचालन और निजी पूँजीपतियों के लिए रेलवे यार्ड/वर्कशॉप/शेड तक मुफ्त पहुँच की अनुमति दी जा रही है। रेलवे प्रिंटिंग प्रेस को बंद किया जा रहा है। निजीकरण की सुविधा के लिए रेलवे की उत्पादक इकाइयों को कॉरपोरेटाइज किया जा रहा है। रेलवे कर्मचारियों को शिकार बनने के अलावा, रेलवे किराए की अपरिहार्य बढ़ोत्तरी के कारण और यात्री किराए में सस्पिडी को समाप्त करने और आवश्यक वस्तुओं पर माल ढुलाई के माल भाड़े में वट्ठि होने से आम जनता के लिए अधिक तकलीफदेह होगा।

सरकार ने, विलय के पिछले दोर के नकारात्मक प्रभाव के बावजूद 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के एक और दोर की घोषणा की है जिससे बैंकिंग सेवाओं और रोजगार पर बुरा असर होगा। विलय के लिए पेश किए जा रहे कारण पूरी तरह से झूठे और भ्रामक हैं। आम जनता की जमा राशि पर व्याज दर कम करने से उन्हें नुकसान होगा, विशेषकर वरिष्ठ नागरिक जो किसी भी सार्थक पेंशन के अभाव में इस पर ही निर्भर हैं। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (आईबीसी) प्रक्रिया दिवालिया कंपनियों के मजदूरों के बकाये की उपेक्षा करने के साथ ही डिफॉल्ट कॉरपोरेटों द्वारा बैंक के धन की लूट को वैधता प्रदान करती है। इन सभी के अलावा भी सरकार विभिन्न देशों और देशों के समूह के साथ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीइपी) जैसे मुक्त व्यापार समझौतों में लगी हर्ई है जो हमारी आर्थिक संप्रभता के लिए हानिकारक है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की हालत और भी बदतर है, क्योंकि वे सकल घरेलू उत्पाद में उनके बड़े योगदान के बावजूद चल रही आर्थिक मंदी का खामियाजा भुगत रहे हैं, इससे औपचारिक क्षेत्रों में रोजगार खोने के कारण असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी। निर्माण मजदूरों, बीड़ी मजदूरों, सड़क विक्रताओं, घरेलू श्रमिकों, लोडिंग/अनलोडिंग मजदूरों के लिए अलग-अलग कानून/कल्याण बोर्ड थे। उन्हें कार्यशील बनाने के बजाय, उन्हें सामाजिक सुरक्षा कोड के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने वर्ष 2039 में पीएमएसवाइपीवाइ के तहत रु 3000 प्रतिमाह की पहली पेंशन का वादा

करते हुए उन पर एक क्रूर मजाक किया है! यहाँ तक कि इस तथाकथित स्वैच्छिक योजना के लिए योजनाकर्मियों को मजबूर किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारी एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की माँग कर रहे हैं। गृह आधारित मजदूरों, अपशिष्टों के पुर्णनवीनीकरण से जुड़े मजदूरों, नमक मजदूरों जैसे तबकों को कोई भी कानूनी सुरक्षा नहीं है।

लेकिन मजदूरों ने इन सभी कदमों को नम्रतापूर्वक स्वीकार नहीं किया है, जैसा कि चारों ओर संघर्षों के उभार से स्पष्ट है। देश भर में 41 आयुध कारखानों के कर्मचारी, 20 अगस्त से एक महीने के लिए पूरी तरह से हड्डताल पर चले गए, निगमीकरण के कदम के खिलाफ, ऐतिहासिक हड्डताल के पांच दिन के बाद ही सरकार को वापस लेने के लिए मजबूर किया। सात रेलवे उत्पादन इकाइयों को कॉर्पोरेट करने की सरकार की योजना का मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों के विरोध के द्वारा तुरंत जवाब दिया गया। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों द्वारा बैंक विलय की खबर का खंडन किया गया था। अब, बैंकिंग क्षेत्र में हड्डताल की कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। कोयला क्षेत्र में 100% एफडीआइ अनुमति देने के खिलाफ 24 सितंबर, 2019 को कोयला मजदूरों ने बड़े पैमाने पर हड्डताल की कार्रवाई की। सरकार द्वारा उनका निजीकरण करने की योजना के खिलाफ, ऊर्जा, पेट्रोलियम, दूरसंचार, धातु, इस्पात, खनन, मशीन निर्माण, सड़क, वायु और जल परिवहन, पोर्ट और डॉक जैसे मुख्य और रणनीतिक क्षेत्रों के विभिन्न सीपीएसयू में आंदोलन हुए हैं। कन्वेंशन इन संघर्षों को पूर्ण समर्थन प्रदान करता है।

कन्वेंशन यह नोट करता है कि इस सरकार ने, अपने देशी-विदेशी निजी कॉर्पोरेट आकाओं की धमकी और दबाव के आगे आत्मसमर्पण करके बेशर्मी से निजी कॉर्पोरेटों के सीएसआर खर्च में कमी लाने के उपाय कर रही है और विदेशी सट्टेबाज पोर्टफोलियो निवेशकों के मुनाफों पर अधिभार भी वापस ले रही है, जो कि आपराधिक कुर्कम हैं। श्री मोदी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में कहा था कि वे “धन निर्माता” हैं और उन्हें संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। यह कारपोरेटों के 99.3% के लिए आयकर दर को 5% से कम करने के विशाल रिश्वत की बजटीय घोषणा से और ऊपर है। अब आर्थिक मंदी को संबोधित करने के नाम पर, वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट के करों में 30% से 22% तक की कम करने की घोषणा की है, जबकि मजदूरों और कर्मचारियों को वही समान 30% आयकर का भुगतान करना पड़ रहा है। कॉर्पोरेट्स को एक और बोनस, 14 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज, मेहनतकश लोगों की क्रय शक्ति में कोई वृद्धि नहीं करेगा, इससे कोई रोजगार पैदा नहीं होगा, यहाँ तक कि हर दिन सेवानिवृत्त होने वाले मजदूरों को नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेगा, बल्कि यह मंदी को और बढ़ाएगा।

अब भाजपा सरकार को आम जनता के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नए पारित मोटर वाहन अधिनियम के कठोर प्रावधानों को अमल में लाया गया है। परिवहन कर्मचारियों के महासंघों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न कार्रवाहियों के माध्यम से भाजपा सरकार के इन कदमों के खिलाफ बार-बार चेतावनी दी थी।

अब जब चुनावों में एक अभूतपूर्व जीत का उत्साह फीका पड़ रहा है, अनुच्छेद 370 और 35 ए की समाप्ति और एनआरसी से कट्टर देशभक्ति का दावा एक धोखा है, जनता एक असफल अर्थव्यवस्था के कड़वे सच और इस भाजपा सरकार की नियोक्ता समर्थक, मजदूर-विरोधी, जन-विरोधी और पूरी तरह से विनाशकारी राष्ट्र-विरोधी नीतियों को समझ रही है। नौकरियों और रोजी-रोटी में लगातार संकट के बारे में आडम्बरपूर्ण बयानबाजी करके जनता को छला नहीं जा सकता।

श्रमिकों का यह राष्ट्रीय सम्मेलन सभी मजदूरों से अपील करता है, चाहे उनकी संबद्धता कोई भी हो, एक साथ हाथ मिलाकर और अपने क्षेत्रीय संघर्षों को एक शक्तिशाली देशव्यापी आंदोलन देकर, सरकार को उसकी राष्ट्र-विरोधी नीतियों को उलटने के धन-सम्पत्ति निर्माता हम ही हैं। हमारे द्वारा बनाई गई धन-सम्पत्ति को सरकार के साथ मिलकर कॉर्पोरेट्स द्वारा लूटा जा रहा है, जिससे प्रभावी माँग और परिणामस्वरूप आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने द्वारा बनाए गए धन का न्यायसंगत पुनर्वितरण करने की माँग करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा सभी के लिए रु० 21000 / प्रतिमाह का राश्ट्रीय न्यूनतम वेतन (वर्तमान जीवनयापन सूचकांक पर), और रु० 10000 / प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन, हम सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को कवर करने के लिए प्रभावी रोजगार गारंटी अधिनियम चाहते हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन, दिनों की संख्या और बजट के आवंटन के साथ, ग्रामीण संकट को कम करने के लिए सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य, सरकारी खरीद सुविधाओं और किसानों के ऋण की माफी की सिफारिशें, हम सभ्य रोजगार का स्थायित्व चाहते हैं, हम सभी स्कीम वर्कर्स के लिए मजदूर

## मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन

का दर्जा चाहते हैं, जिसके बारे में आईएलसी द्वारा सर्वसम्मति से सिफारिष की गई है, ठेका प्रथा को समाप्त करने और ठेका मजदूरों नियमित करने, समान काम के लिए समान वेतन और लाभ और विकास लक्ष्यों को लगातार लागू करने की माँग करते हैं।

मजदूरों का यह राष्ट्रीय सम्मेलन सांप्रदायिक ताकतों की कड़ी निंदा करता है, जो गैर-मुद्दों पर समाज के भीतर वैमनस्य का माहौल पैदा कर रहे हैं, बेरोजगारी के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने और बढ़ती मंहगाई आदि के प्रति जबावदेही से बचने का सरकार को मौका दे रहे हैं। वे मजदूरों और मेहनतकर्षों की एकता को बाधित करने की कोषिष्ठ कर रहे हैं, जो हमारे 12-प्वाइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स के आधार पर चल रहे संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। मजदूर वर्ग को इन विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ अपनी मजबूत आवाज उठानी होगी, जो हमारे समाज के सामाजिक ताने-बाने को खतरे में डाल रही है और भारतीय संविधान के मूल लोकाचार और मूल मूल्यों को खतरे में डाल रही है।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र राष्ट्रीय फेडरेशनों और एसोसिएशनों का संयुक्त मंच के समक्ष विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त संघर्षों को तेज करने और एकजुट करके लामबंद करने का काम है। मजदूरों का यह राष्ट्रीय कन्वेशन सभी क्षेत्रीय संघर्षों के एकीकरण के रूप में देषव्यापी आम हड़ताल की कार्रवाई का आह्वान करता है। इसलिए इस सम्मेलन ने हड़ताल की भारी सफलता के लिए मजदूरों को लामबन्द करने के लिए अन्य बातों के साथ निम्न कार्यक्रम, को पारित किया है

### अगले तीन महीनों में कार्रवाई का कार्यक्रम:

1. अक्टूबर और नवंबर, 2019 के दो महीनों के दौरान राज्य, जिला व सैक्टर स्तर पर मजदूरों के संयुक्त सम्मेलन
2. दिसंबर, 2019 के दौरान उपरोक्त गतिविधि के माध्यम से कारखाने और संस्थान के स्तर तक घोशणा-पत्र का व्यापक प्रसार
3. 8 जनवरी, 2020 को देषव्यापी आम हड़ताल

राष्ट्रीय कन्वेशन हड़ताल की कार्रवाई को धानदार तरीके से सफल बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में और पूरे देष में मेहनतकश अवाम का आह्वान करता है, अगर सरकार हमारी माँगों पर ध्यान देने में चूक करती है तो बड़ी कार्रवाहियों की तैयारी करने की अपील करता है। हम जनता से बड़े पैमाने पर हड़ताल की कार्रवाई का समर्थन करने का आह्वान करते हैं

इंटक

एटक

एचएमएस

सीटू

एआईयूटीयूसी

टीयूसीसी

सेवा

एलपीएफ

यूटीयूसी

और मजदूरों एवं कर्मचारियों की यूनियनों की स्वतंत्र फेडरेशनें, एसोसिएशनें

# देशव्यापी विरोध

## मोदी-2 सरकार के मजदूर विरोधी सुधारों के खिलाफ सीटू का विरोध

मोदी-2 सरकार द्वारा वेतन पर कोड और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी हालातों पर कोड को लोकसभा पेश किया है। और संसद की स्थायी समिति से जाँच कराने को दर किनार करते हुए, इन्हें पारित कराने के लिए वर्तमान सत्र को विस्तारित करने के प्रयास के खिलाफ 23 जुलाई, 2019 को सीटू द्वारा अपनी सभी ईकाईयों, यूनियनों और फेडरेशनों से तुरन्त देशव्यापी विरोध आयोजित करने के आहवान के प्रतिउत्तर में सभी राज्य कमेटियों ने जुलाई के अंत में अभियान आयोजित किया।

केरल में, सीटू ने जिला मुख्यालयों पर राज्यव्यापी विरोध मार्च का आयोजन किया और जिनमें हजारों मजदूरों ने भाग लिया। पंजाब में, 31 जुलाई तक मजदूर-विरोधी श्रम कानूनों में संघोधन, आउटसोर्सिंग और ठेका मजदूर व्यवस्था के खिलाफ राज्य-व्यापी अभियान चलाया, सीटू ने 25 जुलाई को असरोन में सार्वजनिक बैठक आयोजित की। आंध्र प्रदेश में, 29 जुलाई को 7 स्थानों पर सीटू विरोध कार्यक्रम आयोजित किये गये – विजाग में, 25,000 हैंडबिल वितरित किए गए और रेलवे स्टेषन पर धरना आयोजित किये गये; तिरुपति में 12,000 हैंडबिल वितरित किए गए, एक गोल मेज बैठक आयोजित की गयी और धरना दिया गया; कडपा में, एक रेली निकाली गई और रेलवे स्टेषन पर धरना आयोजित किया गया।

## 2 अगस्त अरिवला भारतीय विरोध दिवस

मोदी-2 सरकार द्वारा मौजूदा 44 श्रम कानूनों की जगह मजदूर विरोधी 4 श्रम कोडस् के माध्यम से श्रम सुधारों के खिलाफ 2 अगस्त, 2019 को देशव्यापी विरोध दिवस मनाने के केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आहवान पर, देष के विभिन्न हिस्सों में स्वतः मजदूर स्फूर्त विरोध के लिए मौजूद थे। सीटू केंद्र में प्राप्त कुछ रिपोर्ट निम्नलिखित हैं।

दिल्ली में, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों – इंटक, एटक, एचएमएस सीटू, एआइयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआइसीसीटीयू एलपीएफ, यूटीयूसी, एमईसी, आइसीटीयू और मजदूरों एवं कर्मचारियों के स्वतंत्र फेडरेशनों ने संयुक्त होकर संसद मार्ग पर विरोध मार्च आयोजित किया। एटक की अमरजीत कौर, एचएमएस के षिव गोपाल मिश्रा, सीटू की एआर सिंधु, एआईयूटीयूसी के आर के षर्मा, एलपीएफ के पी. मुथु, इंटक के खुंटिया, सेवा की लता, यूटीयूसी के षत्रुजीत सिंह, एआईसीसीटीयू के राजेष, मजदूर एकता कमेटी के संतोश, आईसीटीयू के नरेन्द्र, इन्डियन जर्नलिस्ट यूनियन की सबीना इंद्रजीत और नेशनल एलाइन्स फॉर जर्नलिस्ट्स् के एसके पांडे सहित राष्ट्रीय और राज्य ट्रेड यूनियन नेताओं ने रेली को संबोधित किया। सभी ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने सांसदों से सरकार के इस मजदूर विरोधी कदम का सख्ती से विरोध करने की अपील की। ट्रेड यूनियनों ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का भी विरोध किया।

केरल में, ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से विरोध दिवस मनाया। सभी जिलों में केंद्र सरकार के कार्यालयों को विरोध मार्च में हजारों मजदूरों ने भाग लिया। तिरुवनंतपुरम में जीपीओ तक विरोध मार्च का उद्घाटन सीटू के प्रदेश अध्यक्ष अनाथलावहम अनादन द्वारा किया गया; एरनाकुलम में सीटू के राष्ट्रीय सचिव के चंद्रन पिल्लई; पलककड़ में सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के के.के. दिवाकरन और अन्य जिलों में राज्य के नेताओं द्वारा किया गया।

छत्तीसगढ़ में, राज्य की राजधानी रायपुर में, बुरहरापारा क्षेत्र में, कर्मचारियों की संयुक्त विरोध रेली को राज्य के नेताओं – इंटक अध्यक्ष संजय सिंह, एटक महासचिव हरिनाथ सिंह, सीटू अध्यक्ष बी. सान्याल, एआईसीसीटीयू महासचिव बजेन्द्र तिवारी,

एआईआईईए के क्षेत्रीय महासचिव धर्मराज महापात्रा, राज्य सरकार के तस्तीय श्रेणी के कर्मचारियों के अध्यक्ष राकेष साहू, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की समन्वय समिति के नेता दिनेष पटेल और एसटीयुसी सचिव एससी भट्टाचार्य ने संबोधित किया।

ओडिशा में, बारिश के बावजूद, राज्य के विभिन्न हिस्सों में सीटू, इंटक, एटक, एचएमएस, एआईसीसीटीयू, एआईयूटीयूसी और बिरादराना फेडरेशनों के द्वारा संयुक्त रूप से विरोध दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में, राज्य विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया गया, जिसका सत्र चल हा था।

इस्पात नगरी राउरकेला, कटक, टांगी, बेरहामपुर, संबलपुर, बालासोर, भद्रक, कीनझार, पुरी, पारादीप, नयागढ़, जाजपुर में और बरिपाड़ा में संयुक्त रैलियों, प्रदर्शनों का आयोजन किया गया तथा जनसभाएं हुईं और केंद्रीय श्रम मंत्री का पुतला जलाया गया।

झारखंड में, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों ने संयुक्त रूप से धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रामगढ़, पाकुड़, साहेबगंज, कोडरमा, पलामू के औद्योगिक क्षेत्रों और अन्य जिलों के मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम आयोजित किए। राज्य की राजधानी रांची में, अल्बर्ट एक्का चौराहे पर विरोध मार्च और रैली आयोजित की गई, जिसे राज्य के नेताओं – एटक के पीके गांगुली, सीटू के प्रकाष विप्लव, एआईसीसीटीयू के भुवनेश्वर केवट, एआईयूटीयूसी मिंटू पासवान, बेफी के एमएल सिंह, बीएसएनएल के नरेष लाल, एचईसी के भवन सिंह, बिजली के बैजनाथ नाथ सिंह, जेसीएमयू के ओम प्रकाष राम और बीएसएसआरयू के एम. एजाज ने संबोधित किया।

राजस्थान में, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी फेडरेशनों के बैनर तले, हजारों मजदूरों ने 15 जिलों में धरना प्रदर्शन करके भारत के राश्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपे। श्रीगंगानगर, सीकर और हनुमानगढ़ प्रमुख जिलों में प्रत्येक में मजदूरों की भागीदारी 700 से 1000 थी; और बाकी हिस्सों में 50 से 200 मजदूरों ने हर एक जिले में भागीदारी की। डाइकिन एयरकंडिषनिंग मजदूर यूनियन ने नीमराणा में एसडीएम के समक्ष धरना प्रदर्शन किया।

जयपुर में, श्रम आयुक्त कार्यालय के सामने 200 मजदूरों की जोरदार बैठक को सीटू के रवींद्र बुक्ला और रामपाल सैनी, इंटक के श्री गुर्जर, एचएमएस के मुकेश माथुर एटक के कुणाल यादव और बैंक फेडरेशन के महेश मिश्रा ने संबोधित किया।

आंध्र प्रदेश में, विरोध दिवस प्रदर्शन आयोजित करके मनाया गया जिसमें 10 जिलों से 6,445 मजदूरों द्वारा भाग लिया गया। राज्य भर में 51,000 पर्चे वितरित किए गए।

विजाग स्टील प्लांट के टीटीआई केंद्र में, सभी यूनियनों के सदस्यों ने, एटक के डी. आदिनारायण, सीटू के जे. अयोध्याराम, इंटक के जी. वेंकट राव, एचएमएस के डी. अप्पा राव और अन्य के नेतृत्व में संयुक्त विरोध रैली आयोजित की। विषाखापत्तनम में, 3 अगस्त को 1,500 मजदूरों द्वारा रैली और जनसभा आयोजित की गई थी।

तमिलनाडु में, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों ने संयुक्त रूप से जुझारु प्रदर्शन का आयोजन किया और सीटू, एटक, एलपीएफ, इंटक, एचएमएस, एआईयूटीयूसी, यूटीयूसी (एलएस) सहित सीटू के के. थिरुसेल्वन सहित के राज्य नेताओं द्वारा चेन्नई में रैली को संबोधित किया। त्रिची के कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया।

## 14 अगस्त 'सामूहिक जागरण'

राश्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मजदूर वर्ग की भागीदारी और बलिदान को याद करने के लिए राश्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सीटू ने सामूहिक जागरण दिवस मनाने और उपयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया; देष की एकता की संवैधानिक स्थापना, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए; और जन समर्थक वैकल्पिक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के लिए प्रयास करने के लिए। सीटू केंद्र में प्राप्त कुछ सीमित रिपोर्ट निम्नलिखित हैं।

आंध्र प्रदेश में, सीटू के संगठनात्मक जिलों में से 7 में, 12 स्थानों पर कुल 1,125 मजदूरों की भागीदारी के साथ कार्यक्रम आयोजित किये गये। तिरुपति में रेलवे स्टेशन पर दिन भर का धरना और उपवास आयोजित किया गया।

तेलंगाना में, राज्य के 32 में से 28 जिला केंद्रों पर सामूहिक 'जागरण' कार्यक्रम आयोजित किये गये। इनके अलावा भी, 61 अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किये गये थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इन कार्यक्रमों में 4,979 मजदूर-सदस्यों ने भाग लिया तमिलनाडु राज्य कमेटी ने जनता तक पहुँचने के लिए मजदूरों, कलाकारों की मंडली के कार्यक्रम का आयोजन किया। उत्तर चेन्नई, दक्षिण चेन्नई और कुडलूर जिले को छोड़कर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कन्याकुमारी में, कोयम्बटूर, सलेम, त्रिची, थिरुवरुर और इरोड में सार्वजनिक बैठक में कष्मीर पर बात न करने की पुलिस की धमकी के बीच बैठक हुई। करुर, कांचीपुरम और मदुरै जिलों में सम्मेलन आयोजित किए गए।

ओडिशा में, सीटू का 'अहाराता दिवस' का आयोजन राज्य के विभिन्न हिस्सों में किया गया। विवरण की प्रतीक्षा है। राउरकेला में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भंजन भवन सामुदायिक केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

पंजाब में, विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किये गये। विवरण की प्रतीक्षा है।

## 5 सितंबर

### मजदूर-किसान संयुक्त आंदोलन

दिल्ली में अखिल भारतीय मजदूर-किसान संघर्ष रैली, 5 सितंबर, 2018 की भावना को जारी रखने के लिए, एआईकेएस ने किसानों की माँगों को लेकर 5 सितंबर, 2019 को पूरे देश में दिवस मनाने का आवान किया। हासन में सम्पन्न हुई सीटू की जनरल कॉसिल मीटिंग ने किसानों की माँगों और आंदोलन का समर्थन करने का फैसला किया और सीटू की इकाइयों को एआईकेएस के कार्यक्रम में शामिल होने और मजदूरों-किसानों के संयुक्त कार्यक्रमों को आयोजित करने का आवान किया। कुछ रिपोर्ट इस प्रकार हैं।

आंध्र प्रदेश में, भारी बारिश के बावजूद, राज्य के कुल 23 जिलों में से, 17 जिलों में सीटू, एआईकेएस और एआईएडब्ल्यूयू द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किए गये थे। सीटू से 1,464 सहित कुल 2,203 लोगों ने जिला मुख्यालयों पर सरकारी कार्यालयों के सामने आयोजित धरने में भाग लिया। 47,000 पर्चे बांटे गए।

कर्नाटक में, सीटू, एआईकेएस और एआईएडब्ल्यूयू ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन रैलियों का आयोजन किया और सरकारी कार्यालयों के सामने सार्वजनिक बैठकें कीं, डीसीयों, तहसीलदारों और अन्य सरकारी अधिकारियों को 15 जिलों के मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा और इन जिलों में 12 अन्य स्थानों पर 4,000 से अधिक की भागीदारी रही।

त्रिपुरा में, सीटू, एआईकेएस और एआईएडब्ल्यूयू और जीएमपी ने संयुक्त रूप से अधिकांश उपर्खंडों में कार्यक्रम आयोजित किए। बेलोनिया में एक प्रभावशाली रैली को एआईकेएस नेता बादल चौधरी ने संबोधित किया; जुलूस और जनसभाओं का आयोजन सबरुम और तेलियामुरा में किया गया; उदयपुर, खोवाई, अंबासा, और पनीसागर में हॉल की बैठकें आयोजित की गयीं; यहां तक कि सत्तारुढ़ पार्टी के आतंक से प्रभावित कमालपुर उप-मंडल में, हॉल की बैठक संतिरबाजार में आयोजित की गई। अगरतला में, एक प्रभावशाली रैली और जनसभा, जिसमें मोहनपुर, जिरानिया और दुक्ली उपर्खंड के प्रतिभागियों ने भाग लिया; अध्यक्षता सीटू के प्रदेश अध्यक्ष माणिक डे और वयोवष्ट्य जीएमपी नेता सलिल देबर्मा ने की और सीटू के प्रदेश महासचिव घंकर दत्ता, एआईएडब्ल्यूयू के राज्य नेता बाबुल भाद्रा, एआईकेएस के राज्य सचिव नारायण कार ने संबोधित किया।

असम में, सीटू और एआईकेएस ने तिनसुकिया, डिबरुगढ़, जोरहाट, गोलाघाट, होजई, लखीमपुर, नलबाड़ी, बारपेटा, बंगाईगांव, कोकराज्ञार, धुबरी, तेजपुर, धेमाजी और सिलचर में संयुक्त किसान-किसान संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किए। राज्य की राजधानी गुवाहाटी में, हजारों मजदूरों और किसानों ने संयुक्त रूप से लेबर कमिष्टर के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और श्रम कानूनों में नियोक्ता समर्थक बदलावों के खिलाफ प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। बैठक को सीटू के राज्य महासचिव तपन सरमा, एआईकेएस के राज्य सचिव टिकेन दास, असम जॉइन्ट ट्रेड यूनियन्स के नेता भाबेंद्र कालिता, सीएफडब्ल्यूआई के राज्य सचिव मदन तालुकदार और आंगनवाड़ी यूनियन के राज्य सचिव इदिरा नेवार ने संबोधित किया।

# राष्ट्र और उसके संसाधनों की रक्षा के लिए

## कोयला मजदूरों की मुकम्मल हड़ताल

### सबसे बड़ी हड़ताली कार्रवाई

किसी भी उद्योग में सबसे बड़ी हड़ताली कार्रवाई में, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) की सभी 650 कोयला खदानों में, जो पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और उत्तर प्रदेश कोयला वाले राज्यों में फैले हुई हैं; और तेलंगाना राज्य व केंद्र सरकार की संयुक्त क्षेत्र की कंपनी, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), के 5 लाख से अधिक स्थायी और ठेका कोयला मजदूर पूरी एकजुटता के साथ 24 सितंबर को मुकम्मल हड़ताल पर थे।

इंटक, एचएमएस, एटक, सीटू और एआइसीसीटीयू के 5 फेडरेशंस द्वारा 5 सितंबर को कोयला मंत्रालय को सौंपी गई माँगों के लिए तीन बिंदुओं के चार्टर के अनुसार हड़ताल बुलाई थी। माँगें हैं – (1) कोयला खनन में 100% एफडीआई के सरकार के फैसले को वापस लेने के लिए; (2) सभी सहायक कंपनियों इसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, एसइसीएल, एमसीएल, एनसीएल, डब्ल्यूसीएल और सीएमपीडीआइएल की एकल इकाई में विलय के लिए और (3) ठेकेदारों, आउटसोर्सिंग और एमडीओ (माइंस डेवलपमेंट ऑपरेटर्स) के माध्यम से कोयला खनन को रोकने के लिए; और उनके अधीन काम कर रहे मजदूरों को सीआइएल के कामगार के रूप में नियमित किया जाय/मान्यता दी जाये।

कोयला मजदूरों की यह हड़ताल किसी भी आर्थिक माँग के लिए नहीं थी, बल्कि कोयले के वाणिज्यिक खनन में 100% एफडीआई के माध्यम से देश की कोयला संसाधनों का नियंत्रण विदेशी एजेंसियों को धीरे-धीरे सौंपने और इसके सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को नश्ट करने की मोदी सरकार की नीयत से राश्ट्रीय हित की रक्षा के लिए थी। लगभग सौ प्रतिशत हड़ताल के साथ, कोयला मजदूरों ने एक मजबूत संदेश दिया है कि वे विदेशी कॉरपोरेट्स की लूटखसोट से राश्ट्रीय हितों और देश के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के संघर्ष के लिए पूरी तरह से एकजुट हैं।

हड़ताल ने कुल कोयला उत्पादन और उसके परिवहन को पंगु बना दिया; और उत्पादन में गिरावट का अनुमान 2.13 मिलियन मीट्रिक टन और नुकसान रु 4,000 करोड़ था। देश के लगभग 75% ऊर्जा संसाधनों का निर्माण कोयला करता है।

### व्यापक समर्थन

एक बयान में, सीटू ने कोयला मजदूरों को उनकी ऐतिहासिक एकजुट हड़ताली कार्रवाई और देश एवं उसके संसाधनों को बाहर बेचने और विदेशी कॉरपोरेटों तथा उनके स्थानीय सहयोगियों की मिलीभगत से लूटने की अनुमति नहीं देने के उनके दृढ़ प्रयासों के लिए बधाई दी। संयुक्त बयान में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने कोयला मजदूरों की हड़ताल और माँगों का समर्थन किया। डब्ल्यूएफटीयू के ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल (टीयूआई) केमिस्ट्री एनर्जी ने 24 सितंबर के एक बयान में सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा के लिए भारतीय कोयला मजदूरों की हड़ताल और उनके संघर्ष का पूरी तरह से समर्थन किया। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राश्ट्रीय समन्वय समिति ने भी कोयला मजदूरों की हड़ताल का समर्थन किया।

### हड़ताल को तोड़ने और माँगों को कमजोर करने का प्रयास

5 फेडरेशनों की हड़ताल के आवान को धक्का पहुंचाने और उनकी माँगों को हल्का करने के लिए, आरएसएस-भाजपा नीत सरकार द्वारा प्रायोजित और आरएसएस के नेतृत्व वाली ट्रेड यूनियन ने एक दिन पहले शुरू होने वाली 5 दिवसीय हड़ताल का आवान किया। हालांकि, मजदूरों ने उसके इस खेल को समझा और उनके आवान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। 23 सितंबर को कोयला मजदूरों की हड़ताल की पूर्ण विफलता और 25 सितंबर को इस प्रायोजित यूनियन को 25 की घास को मंत्री के साथ एक षष्ठीनाक बैठक के बाद अपनी हड़ताल को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया।

### सरकार की धोखेबाजी की कोशिश

28 अगस्त को मोदी सरकार ने कोयला खनन में 100% एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय लिया। 5 सितंबर को, 5 फेडरेशनों ने संयुक्त रूप से हड़ताल का नोटिस दिया। हड़ताल के उस नोटिस के बावजूद, 18 सितंबर को, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने सरकार के निर्णय के अनुसार, कोयला खनन में 100% एफडीआई को अधिसूचित किया। डीपीआईआईटी के प्रेस नोट के अनुसार, “100 प्रतिशत एफडीआई को कोयला, कोयला खनन गतिविधियों से संबंधित प्रसंस्करण

के बुनियादी ढांचे सहित बिक्री की अनुमति है।” फिर भी, अगले दिन, 19 सितंबर को, सरकार हड्डताली यूनियनों के साथ चर्चा के लिए बुलायी, जिसका फेडरेशनों ने उचित तरीके से बहिष्कार किया है।

धोखेबाजी करना मोदी सरकार की पहचान है। इसी कड़ी में, कोयला मंत्री प्रहलाद जोषी ने, हड्डताल के तुरंत बाद, 25 सितंबर को एक बयान में कहा, “... सीआइएल या एससीसीएल में एफडीआई का कोई इरादा नहीं है। इस मामले पर सभी यूनियनों के साथ चर्चा करने के लिए सरकार खुली है...” हड्डताल नोटिस में, फेडरेशनों ने “कोयला खनन में 100% एफडीआई” पर सरकार के फैसले को वापस लेने की माँग की; मंत्री ने अपने बयान में “सीआइएल या एससीसीएल में एफडीआई” के बारे में कहा। सरकार के साथ-साथ, आरएसएस यूनियन ने भी बयान जारी किया, “मजदूरों की मुख्य माँग यह थी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर, हमने हड्डताल वापस लेने का फैसला किया है।”

1973 में कोयला खदानों के राश्ट्रीयकरण के बाद, 1993 में निजी कोयला खनन की अनुमति देने के लिए कोयला खदान (राश्ट्रीयकरण) अधिनियम में संघोधन किया गया था। हालांकि, मोदी-1 सरकार ने कोयला खदान (विषेश प्रावधान) अधिनियम, 2015 को अपनाते हुए वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए निजी कोयला खनन की अनुमति दी। यही इस क्षेत्र में है कि मोदी सरकार ने कोयला खनन में 100% एफडीआई को अधिसूचित किया है। हड्डताल इस फैसले के खिलाफ थी।

## संसद में

### राज्यसभा में

#### सलेम स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध

9 जुलाई, 2019: तमिलनाडु के सांसदों ने राज्यसभा में सलेम स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध किया और नारे लगाए। सदन स्थगित कर दिया गया। (संदेश: टीकेआर)

#### योजना कामगारों की माँगे उठायी गयी

31 जुलाई, 2019: इलामारम करीम, सीपीआई (एम) के सांसद, सीटू के राष्ट्रीय सचिव और केरल राज्य के महासचिव ने योजना मजदूरों आंगनवाड़ी आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मुद्दे – सभी योजनाकर्मियों को ‘मजदूर’ के तौर पर मान्यता और 45<sup>वें</sup> आईएलसी की सिफारिशों के अनुसार उन्हें न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुनिष्ठित करनाको आज राज्यसभा में उठाया।

## कानूनी

#### ऑटो पार्ट्स उद्योग को ‘सार्वजनिक उपयोगिता सेवा’ बताने वाले सरकारी आदेश

#### परमद्रास उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश

1 अगस्त, 2019 को मद्रास उच्च न्यायालय ने, ऑटो पार्ट्स उद्योग को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत ‘सार्वजनिक उपयोगिता सेवा’ घोषित करने के एक सरकारी आदेश (जीओ) के लागू करने को स्थगित किया।

14 जून को, तमिलनाडु ने, ऑटो पार्ट्स उद्योग को ‘सार्वजनिक उपयोगिता सेवा’ घोषित करते हुए जीओ जारी किया। सरकार का दावा था कि इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। कोयंबटूर आधारित यूनियन के याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण कि कल्पना के किसी भी तरीके से, ऑटो पार्ट्स निर्माण उद्योग को आईडी अधिनियम के तहत ‘सार्वजनिक उपयोगिता सेवा’ के दायरे में लाया जा सकता है के साथ सहमति है और इसलिए जीओ के तहत घोशणा मनमानी, तर्कहीन और कानून के अनुरूप नहीं है; न्यायमूर्ति वी. पार्थिवन ने जीओ के लागू होने के खिलाफ अंतरिम रोक का आदेश दिया।

# जी.एस.टी. पर कैग की रिपोर्टः धोरवाधड़ी का खुलासा

जे.एस. मजुमदार

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में व उनके मातहतों तथा राज्यों के वित्तमंत्रियों के साथ 20 सितम्बर, 2019 को दर्शनीय गोवा में हुए जीएसटी कौंसिल के 37<sup>वें</sup> सत्र में तुरंत कदम उठाते हुए आतिथ्य उद्योग व टूरिज्म, विशेष तौर पर विदेशी टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए सितारा होटलों की शुल्क दरों को कम कर दिया। ऐसे समय जब उपभोग में गिरावट के चलते देश सबसे बुरी अर्थिक मंदी का सामना कर रहा है और बेरोजगारी की दर पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक है सरकार की प्राथमिकता यह है। यह फैसला मोदी सरकार द्वारा एक दिन पहले ही कारपोरेट टैक्स में भारी कमी किये जाने के एकदम बाद लिया गया। इन दोनों में नीति की दिशा एक ही है।

लगभग दो महीने पहले 27 जुलाई, 2019 को जीएसटी कौंसिल की 36<sup>वीं</sup> बैठक ने बिजली वाहनों पर जीएसटी की दर को कम करने को प्राथमिकता थी। टेलीकान्फ्रेसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में बिजली से चलने वाले वाहनों पर जीएसटी दरों को 12% से घटाकर 5%; उनके चार्जरों व चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को घटाकर 18% से 5% कर दिया; तथा ई-बस सेवा पर जीएसटी को शून्य कर दिया। ये बदलाव तुरंत प्रभाव से 1 अगस्त, 2019 से लागू कर दिये गये।

बिजली के वाहनों के बारे में तुरन्त लिये गये इस फैसले का सीधा असर हाल ही में संपन्न जीएसटी की 37<sup>वीं</sup> बैठक में पड़ा जहाँ उसने पेट्रोल/डीजल वाहनों पर जीएसटी दरों को कम करने से इन्कार कर दिया जबकि यह उद्योग मंदी का सामना कर रहा है और लाखों की संख्या में लोगों का रोजगार छिन रहा है। अभी तक वाहन उद्योग में जीएसटी की दर 28 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक है और इसमें न्यूनतम 15 प्रतिशत सेस भी जुड़ता है। इसमें पेट्रोल व डीजल पर टैक्स जुड़ता है जहाँ 28 प्रतिशत उच्चतम सीमा होने के चलते जीएसटी लागू नहीं होता जबकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ राज्यों के वैट जुड़कर अभी पेट्रोलियम उत्पादों की कुल कीमत का 40.11 से 59.78 प्रतिशत होता है।

जीएसटी कौंसिल की ओर से ऐसे उद्योगों व सेवाओं में जीएसटी दरों को संबोधित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया जिसमें मौजूदा अर्थिक मंदी के चलते सबसे ज्यादा रोजगार का नुकसान हुआ है और जिनमें सबसे अधिक रोजगार देने की क्षमता है।

दूसरी ओर, जीएसटी कौंसिल उपभोक्ताओं के हितों की भी उपेक्षा करती आ रही है। यह अडियल तरीके से दवाओं पर जीएसटी को कम करने से मना कर रही है जो आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में शामिल 356 दवाओं में से अधिकतर पर 12% है। नियंत्रण से बाहर की दवाओं के दामों में भारी बढ़ोतरी तथा एनएलईएम की दवाओं के दामों में सलाना 10% की वृद्धि के चलते दवाओं पर जीएसटी की राशि और भी बढ़ जाती है।

अपरोक्ष करों के मामले में, जीएसटी कौंसिल की चचार्ये पारदर्शी नहीं हैं तथा फैसले संसद की निगरानी तथा जनता की राय के बाहर जिये जाते हैं जबकि अपरोक्ष कर होने के चलते लोगों पर इसका सीधा असर होता है।

संविधानिक दायित्व के तहत कैग ने जीएसटी पर अपनी पहली ऑडिट रिपोर्ट 30 जुलाई, 2019 को संसद को सौंपी। मगर विरोध आभास देखिये कि संसद सदस्यों को पहली बार, अपरोक्ष कर पर इस रिपोर्ट पर चर्चा तब करनी पड़ी जब इसे संसद द्वारा पहले की जाने वाली जाँच-पड़ताल से बाहर ले आया गया।

जीएसटी कैग की इस प्रथम रिपोर्ट में जीएसटी प्रशासन के बारे में कुछ गंभीर मामलों को दर्ज किया गया है जो आमतौर पर कारपोरेट मीडिया द्वारा नजरंदाज किये जाते हैं और जनता के संज्ञान से बाहर रहते हैं।

सरकार पहले ही जीएसटी राजस्व के लक्ष्य को अंतरिम बजट की 7.61 लाख करोड़ रुपये की राशि से घटाकर वित्तवर्ष 2019–20 के केन्द्रीय बजट में 6.63 लाख करोड़ कर चुकी है। चालू वित्त वर्ष की समाप्ति तक भारत की अर्थव्यवस्था के 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने के बड़बोलपन के साथ जब 5 जुलाई, 2019 को 2019–20 का केन्द्रीय बजट पेश किया गया तो वह भी जीएसटी राजस्व जुटाने में असफलता का स्वीकार था और इसीलिए, चालू वर्ष के लक्ष्य को 12.87% से ज्यादा या लगभग 1 लाख करोड़ रुपये से कम कर दिया गया।

9 जुलाई 2017 से प्रभावी जीएसटी के तहत सभी माल व सेवाओं पर टैक्स की दरों में वृद्धि तथा टैक्स के दायरे के विस्तार के बावजूद अपरोक्ष कर के राजस्व में गिरावट की कैग की रिपोर्ट में पुष्टि की गई है। रिपोर्ट कहती है, “भारत सरकार के अपरोक्ष

करों की वृद्धि, 2016–17 की 21.33% की तुलना में 2017–18 में 5.80% पर आ गई, जिससे माल व दवाओं से प्राप्त होने वाला भारत सरकार का राजस्व 10% कम हुआ।”

कैग की रिपोर्ट दिखाती है कि लोग जहाँ जीएसटी के तहत ज्यादा अपरोक्ष कर दे रहे हैं वहीं सरकार का कलेक्शन जीएसटी प्रभावी होने के पहले के स्तर से कम है। यदि लोग ज्यादा अदा कर रहे हैं और सरकार को वित्त वर्ष 2017–18 में कम अपरोक्ष कर प्राप्त हुआ है तो सवाल है कि इतनी विशाल धनराशि आखिर गई कहाँ? कैग ने अपनी रिपोर्ट के तीरे भाग में इसका उत्तर देते हुए भारी जीएसटी घोटले का पर्दाफाश किया है।

कैग की रिपोर्ट ने चालू व्यवस्था की असफलता को इसका कारण बताया है। रिपोर्ट कहती है, “कुल मिलावट, जैसा सोचा गया था जीएसटी पालना व्यवस्था वैसा नहीं कर पा रही है।”

क्यों? क्योंकि राजस्व विभाग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडियरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (सीबीआइसी) व जीएसटी एन जैसे हितधारकों के बीच जरूरी समन्वय नहीं है तथा इस व्यवस्था को लागू करने से पहले इसे न आजमाने की असफलता इसका कारण है।” (बल देने के लिए रेखांकित)। कैग की रिपोर्ट ने अधिकतर विपक्षी दलों की इस आलोचना की पुष्टि की है कि जीएसटी को बिना तैयारी के लागू किया गया।

कैग रिपोर्ट ने यह भी आरोप लगाया है कि जीएसटी को लागू करते हुए मोदी सरकार ने राज्यों को फंड के वितरण मामले में, संविधानिक प्रावधानों व जीएसटी कानून का उल्लंघन किया। रिपोर्ट कहती है, “वर्ष 2017–18 के दौरान, भारत सरकार ने, वित्त आयोग के फार्मूले के अनुसार, आइ जीएसटी के वर्ष अंत का बेलेन्स दिया जो भारत के संविधान के प्रावधानों और आइ जीएसटी एकट के प्रतिकूल था। इसके कारण राज्यों को फंड का बंटवारा, आइ जीएसटी एकट की ‘आपूर्ति के स्थान’ की अवधारणा के बजाय पूरी तरह से अलग आधार पर किया गया।”

जीएसटी के बारे में कैग रिपोर्ट आगे कहती है कि “व्यवस्था, आइटीसी धोखाधड़ी संभावित है। इसने जीएसटी घोटाले की विशालता को सामने रखते हुए ठोस उदाहरण दिये हैं। जीएसटी कानून के तहत, एक आपूर्तिकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) मिलता है जब माल बेचा जाता है तथा उपभोक्ता द्वारा जीएसटी का भुगतान किया जाता है। 1 जुलाई से 8 अगस्त, 2018 के दौरान टैक्स रिटर्न में आइ टी सी का कुल दावा 8.19 लाख करोड़ रुपये था जिसमें अकेले आंध्र प्रदेश से ही 6.94 लाख करोड़ था। कैग ने जब पूछताछ की जो जीएसटी एन ने उत्तर दिया कि आंध्र प्रदेश से कुल 6.94 करोड़ रुपये के आइटीसी दावों में से, “6.45 लाख करोड़ आंध्र प्रदेश के विशेष कारदाता के हैं जो गलती से मांग गये हैं।” (बल देने के लिए रेखांकित) कैग, एक विशेष कारदाता द्वारा “गलती से किये गये दावे” के जीएसटीएन के बायान का कायल नहीं था। अपनी रिपोर्ट में जीएसटी एन के बायान को नकारते हुए कैग ने मोटे अक्षरों में कहा, “एक कारदाता द्वारा आइ जीएसटी की आइटीसी के एक महीने के कुल दावे के 79% का गलती से दावा करने की मंजूरी व्यवस्था के द्वारा दी गयी जो इस व्यवस्था में धोखाधड़ी पूर्ण आइटीसी दावों की संभावना की कमज़ोरी का पर्दाफाश करता है।”

कैग रिपोर्ट आगे कहती है, “आंध्र प्रदेश की इस उपरोक्त राशि को हटा देने के बाद, पंजाब राज्य का आइटीसी प्रतिशत उच्चतम है तो अखिल भारतीय बेलेन्स का 32.6% है और इससे अनाप–शनाप आइटीसी अदायगियों के जोखिम से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जीएसटी को धोखाधड़ी कर लाखों की चपत लगाने के लिए नये नीरव मोदी सक्रिय हैं। यह कैसे हो रहा है? कैग ने इसका पूरा दोष जीएसटी एन द्वारा जीएसटी की चालू व्यवस्था के संचालन को दिया है जो विदेशी निजी हितधारकों समेत एक पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर संचालित होता है।

जीएसटी के अनुसार, आइटीसी के लिए दावा तथी किया जा सकता है जब ‘आपूर्तिकर्ताओं’ और ‘प्राप्तिकर्ताओं’ (उपभोक्ता) द्वारा क्रमशः जीएसटी आर–1 तथा जीएसटी आर–2 के प्रारूप में दिये बिलों का मिलान हो जाये। इसके अतिरिक्त, जीएसटी आर–3 भी है जिसमें पूर्णतः स्वआकलन के आधार पर कारदाता द्वारा अतिरिक्त जानकारियां दी जाती हैं। लेकिन, जीएसटी आर–2 को दाखिल करने को अभी लागू नहीं किया गया है और आइटीसी दावों को पूरी तरह से जीएसटी आर–3 के आधार पर बिना वेरिफिकेशन के निपटान की मंजूरी दी जा रही है। कैग की रिपोर्ट कहती है, “खतरा यह है कि कारदाताओं द्वारा आइटीसी के गलत दावे पकड़ में आये बिना लिये जा सकते हैं।” इतने पर भी इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है कि 20 सितम्बर, 2019 की जीएसटी कॉसिल बैठक में 30 जुलाई, 2019 को पेश कैग की रिपोर्ट पर कोई चर्चा हुई भी या नहीं; इसके क्या निष्कर्ष रहे और उपचार के लिए क्या तरीके सुझाये गये सिवाय इसके कि जीएसटी आर–9 के तहत टैक्स रिटर्न के सरलीकरण को मंजूरी दी गयी और दो करोड़ के कम से वार्षिक टर्न ओवर वाले करदाताओं को इसे भरने से छूट दे दी गयी।

# उच्चोग्या व स्ट्रेन्ड

## सड़क परिवहन

### मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम; जनता में उत्पन्न गुस्सा; पीछे हटती सरकारें

#### आर लक्ष्मैया

1 सितम्बर, 2019 से देश भर में लागू किये गये मोटर वाहन (अधिनियम) एक्ट् 2019 के अन्तर्गत हेलमेट न पहनने, सीट बेल्ट न लगाने, बीमा नवीनीकरण में देरी आदि जैसे छोटे उल्लंघनों के लिए जुर्माने में 10 गुना वृद्धि समेत सजा के प्रावधान ने प्रिंट इलैक्ट्रानिक व सोशल मीडिया में सुर्खियां बनायी है। केन्द्र की अधिसूचना के अनुसार इन जुर्मानों में प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को 10 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी। इससे समूचे देश में सभी प्रकार के मोटर वाहन चालकों में भारी गुस्सा पैदा हुआ है।

जनता के भारी गुस्से को भांपते हुए, भाजपा शासित राज्य सरकारों समेत कई राज्य सरकारों ने और विपक्ष शासित राज्य सरकारें, जिन्होंने संसद में संशोधनों के पक्ष में मत दिया, गुस्से से बचने के लिए भाग रही है। कॉग्रेस की राज्य सरकारें, पश्चिम बंगाल में ही टीएमसी सरकार, तेलंगाना की टीआरएस सरकार, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कॉग्रेस सरकार ने बढ़ाये गये जुर्मानों पर अमल को टाल दिया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जुर्माने को कम कर दिया है। कर्नाटक व महाराष्ट्र जैसे राज्यों की भाजपा सरकारों ने अमल को टाल दिया है। गुजरात व झारखण्ड में भाजपा की राज्य सरकारों ने पहले ही जुर्माने की दरों में कमी कर दी है। बिहार की भाजपा-जेडीयू सरकार ने अभी इस पर अमल को स्थगित रखा है।

संशोधनों का सार यह है कि सुरक्षा कायदों को लागू करने के लिए भय पैदा करना जरूरी है और यह कि दुर्घटनाओं के लिए सिर्फ चालक ही जिम्मेदार होते हैं।

लेकिन वास्तविकता क्या है? यातायात के आधारभूत ढांचे की कमी, सड़कों की खराब स्थिति, सड़कों के निर्माण में खामियाँ आदि दुर्घटनाओं के प्रमुख कारक हैं। यही नहीं, सार्वजनिक परिहन की नाकाफी उपलब्धता तथा कम या ब्याज रहित कर्ज प्रदान करने के द्वारा निजी वाहनों को बढ़ावा दिये जाने से सड़के मोटर वाहनों से पट गयी हैं। इससे दुर्घटनायें बढ़ रही हैं। इन मुद्दों को संबोधित किये बिना केवल जुर्माने बढ़ा देने से दुर्घटनायें नहीं रुकेंगी।

संशोधित अधिनियम में केवल जुर्माना ही नहीं बढ़ाया गया है बल्कि दूसरे उल्लंघन पर वाहन को जब्त करना, ड्राईविंग लाइसेंस का मुअत्तल होना तथा जुर्माना बढ़ना भी इस एक्ट का हिस्सा हैं। जब इन्हें लागू किया जाएगा तो अशांति और बढ़ेगी।

तथापि, इस संशोधन अधिनियम का असली उद्देश्य यात्री व माल दोनों तरह के परिवहन समेत समूचे सड़क परिवहन को विशालकाय निगमों के हाथों में देने का है। 1988 के मूल एक्ट में कोई प्रावधान न होने के बावजूद अब 2019 के संशोधन में इन निजी कारपोरेटों के लिए 'एग्रीगेटर्स' के नाम से प्रावधान किया गया है। संशोधन का मुख्य मकसद यही है। यदि समूचा सड़क परिवहन सैकटर विशालकाय निगमों के हाथों में पहुँच जायेगा तो इसका सबसे पहला शिकार मजदूर बनेंगे। जनता को भारी किरायों का बोझ सहना होगा।

इसके अतिरिक्त, एकट में बड़ी कंपनियों द्वारा वाहन जॉच केन्द्र खोलने का प्रावधान किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना किये जाने के बाद किसी भी वाहन को कारपोरेट टैस्टिंग ऐंजिनियों के सर्टिफिकेट के बिना फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिल सकेगा।

राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक परिवहन निगमों को कमजोर/तहस-नहस करने के लिए संशोधन एकट में कई नई धारायें शामिल की गयी हैं। वास्तव में, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक सड़क परिवहन निगमों में दुर्घटनायों की दर सबसे कम दर्ज की गयी है।

यही नहीं; सरकार के परिवहन विभाग की गतिविधियों भी निजी एंजिनियों को दी जाने वाली हैं, जिससे न केवल विभाग के कर्मियों के रोजगार के लिए खतरा पैदा हुआ है बल्कि कुछ गडबड होने की स्थिति में किसी की जिम्मेदारी भी नहीं रह जायेगी। अभी भी कुछ राज्यों में, जहाँ नये वाहनों के पंजीकरण के काम को डीलरों को दिया गया है वहाँ से कम राशि के बिल बनने की बहुत सी रिपोर्ट हैं जिससे सरकारी कोष को नुकसान होता है। यदि सभी काम निजी एंजिनियों को सौंप दिये जाते हैं तो कोई भी पैदा होने वाली समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगा सकता है।

मोटर वाहन (संशोधन) एकट, 2019 और कुछ नहीं बल्कि विभिन्न देशों के कानूनों से यहाँ से लेकर वहाँ चिपकाने की कार्रवाई है। लेकिन बहुत से बुद्धिनीवियों ने सवाल उठाया है कि दुनिया के किसी भी देश में जुर्माना किसी व्यक्ति की एक दिन की आय से अधिक नहीं है। यहाँ इस तथ्य को पूरी तरह से नजरंदाज किया गया है। क्योंकि, असली मंशा तो यह है कि वाहनों के मालिक/चालक अपना काम धंधा छोड़ भागें और विशालकाय कारपोरेटों पर निर्भर हो जायें।

**केन्द्र-राज्य संबंध:** भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है। मोदी शासन में राज्यों की सभी शक्तियों को केन्द्र में समाहित किया जा रहा है। मोटर वाहन (संशोधन) एकट, 2019 कुछ के माध्यम से केन्द्र सरकार ने या तो राज्यों की बहुत सी शक्तियों को ले लिया है या परिस्ट जारी करने तथा योजना बनाने आदि के मामले में उनके क्षेत्राधिकारों में दखल दिया है।

**यह आज का मामला नहीं:** मोदी-1 सरकार मोटर वाहन (संशोधन) एकट, 2019 के जैसे प्रावधानों के साथ सड़क परिवहन व सुरक्षा विधेयक, 2019 लेकर आयी थी। तब से लेकर देश में परिवहन मजदूर तथा अन्य तमाम हितधारक विधेयक के विरोध में लगातार संघर्ष में रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार, इस विधेयक के विरोध में, परिवहन मजदूरों ने 30 अप्रैल, 2015 को सफल देशव्यापी हड़ताल की। 7 अगस्त, 2018 को एक बार फिर परिवहन मजदूर ने कहीं ज्यादा भागेदारी के साथ राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। इस बीच, परिवहन मजदूरों ने सरकार की गलत व जन विरोधी-नीतियों के खिलाफ केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आहवान पर हुई अखिल भारतीय हड़तालों में भी भाग लिया। इस संघर्षों के सामने सरकार को विधेयक के शीर्षक को तो बदलना पड़ा परन्तु उसकी विषयवस्तु में बदलाव नहीं किया।

मजदूरों के संघर्षों व विपक्षी दलों के व राज्य सरकार सभा में कड़े विरोध के चलते 2014 का विधेयक 2019 के संसदीय चुनाव तक पारित नहीं हो सका। सी.पी.आई. (एम) के साथ सीपीआइ व डीएमके; काँग्रेस टीएमसी, एआइएडीएमके ने भी पहले विधेयक का विरोध किया तथा संसद की सलेक्ट कमेटी द्वारा विधेयक के परीक्षण के दौरान अपना विरोध दर्ज कराया था। लेकिन मोदी-2 सरकार के दौरान जब वामपंथी सदस्यों ने मत विभाजन की माँग की तो सी-पी-आई. (एम), सीपीआइ व डीएमके को छोड़कर ने या तो मोटर वाहन (संशोधन) एकट, 2019 के पक्ष में मत दिया या मतदान में भाग नहीं लिया। और इस प्रकार पक्ष में 208 मतों तथा विपक्ष में 13 मतों के साथ विधेयक पारित हो गया।

इसलिए मोदी सरकार से यह माँग करना आवश्यक है कि यह मोटर वाहन एकट के संशोधनों को वापिस ले तथा ट्रेड यूनियनों व क्षेत्र के विशेषज्ञों समेत सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सड़क परिवहन सैक्टर के सभी हितधारकों से राय-मशविरा करे।

तथापि, अनुभव कहता है कि मोदी सरकार सामान्य तरीके से जनता की सुनवाई नहीं करेगी। क्योंकि उसका-प्रमुख कार्य कारपोरेटों के हितों व उनके मुनाफों को बचाना है। इसलिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत प्रतिरोध आंदोलन खड़ा किया जाये, यही एकमात्र रास्ता है। (आर लक्ष्मैया ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव हैं)

## दूरसंचार

# बीएसएनएल और उसके कर्मचारियों की परेशानियाँ

सीटू के राष्ट्रीय सचिव और सांसद ईलमाराम करीम ने 1 जुलाई, 2019 को बीएसएनएल के मुद्दे को राज्यसभा में एक विशेष उल्लेख के रूप में उठाया। सदन के अध्यक्ष ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और कहा कि संबंधित मंत्री की उपस्थिति में इस पर सदन के वर्तमान सत्र में चर्चा की जाएगी।

उसी दिन करीम ने केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुद्धार के बारे में उनके सार्वजनिक बयान को याद दिलाते हुए लिखा और विचार एवं सुझाव दिए।

लोकसभा में 26 जून, 2019 को एक लिखित जवाब में, मंत्री ने कहा,

बीएसएनएल और एमटीएनएल राष्ट्रीय संपत्ति हैं; वे गृह एवं रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में काम करते हैं; बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि चक्रवात, बाढ़ या भूकंप के दौरान वे मुफ्त सेवाएं देने में सबसे आगे हैं।

इंडिया टुडे ने बताया कि कड़ी प्रतिस्पर्धा; उच्च कर्मचारी लागत; 4 जी सेवाओं का न होना, बीएसएनएल और एमटीएनएल की खराब वित्तीय स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। “दूरसंचार क्षेत्र कड़ी प्रतिस्पर्धा और टैरिफों में कमी के कारण वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है। वित्त वर्ष 2017–18 और वित्त वर्ष 2018–19 में दो निजी ऑपरेटरों यानी एयरटेल और वोडाफोन/आइडिया का सकल राजस्व भी घटा है।”

बिजनेस लाइन के अनुसार सख्त प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी इस अवधि के दौरान बीएसएनएल की बाजार में हिस्सेदारी 9.63% से बढ़कर 10.72% हो गई।

करीम ने अपने पत्र में कहा, “अम्बानी के रिलाइन्स जिओ द्वारा शुरू किये ग्रूप टैरिफ युद्ध के कारण सम्पूर्ण टेलीकॉम सेक्टर आईसीयू में है” उन्होंने कहा, “इसके बावजूद बीएसएनएल 2014–15 से परिचालन लाभ कमा रहा है।”

27 जून को सीटू के महासचिव तपन सेन, पूर्व सांसद ने मंत्री को लिखा, “इस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को वर्ष 2000 में दूरसंचार विभाग से बाहर किया गया था। डीओटी कर्मचारियों का एक बड़ा तबका सरकारी सेवा से बीएसएनएल में लगाया गया था। सेवानिवृत्ति पर मौजूदा सरकारी नियम, बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए भी लागू किये जाने चाहिए।”

## एयरवेज

### सीटू ने एयर इंडिया के निजीकरण का विरोध किया

सीटू ने 30 अगस्त को एक बयान में, एक दिन पहले प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री द्वारा एयर इंडिया के 100% शेयर बेचने की मोदी सरकार की हताशापूर्ण घोषणा की निंदा की। और कहा कि एयर इंडिया के 29,000 करोड़ रुपये के कर्ज का आधा हिस्सा सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था और कंपनी के खातों की किताबों से भी हटा दिया था; और ईंधन खाते के लिए एयर इंडिया के बकाए का एक हिस्सा सरकार द्वारा इकिवटी समर्थन के माध्यम से पूरा करने की योजना बनाई जा रही है। अपने पिछले शासन के दौरान 76% सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से एयर इंडिया का निजीकरण करने में विफलता के बाद यह प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान प्रयास निजी कॉरपोरेट द्वारा ब्लैकमेलिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है।

भाई-भतीजा पूँजीवाद (क्रोनी कैपिटलिज़म) के रूप में सरकार ने एयर इंडिया को उसकी विशाल परिसंपत्तियों के आधार के साथ निजी क्षेत्र के लिए अन्य सुविधाजनक व्यवस्था करते हुए अपनी सौ प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है।

## प्रतिरक्षा

# मोदी सरकार का प्रतिरक्षा कर्मियों के साथ धोरवा

सरकार के ऑर्डरनेन्स फैक्टरी बोर्ड (ओएफबी) के निजीकरण के पहले कदम के फैसले के विरोध में देश के सभी 41 ऑर्डरनेन्स फैक्ट्रियों के 98,000 प्रतिरक्षा कर्मचारियों की महीने भर की अधिसूचित हड़ताल, जो 20 अगस्त, 2019 को शुरू हुई को; तीन कर्मचारी फेडरेशनों और रक्षा उत्पादन सचिव एवं मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद 26 अगस्त की सुबह से 'स्थगित' कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि 'कोई अंतिम निर्णय नहीं' लिया गया था और सरकार के इस कदम के बारे में कर्मचारियों की चिंता के बारे में चर्चा करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाएगी। तीन फेडरेशनों द्वारा जारी संयुक्त बयान में इसकी पुष्टि की गई थी।

इस समझदारी को धोखा देते हुए, रक्षा उत्पादन विभाग ने उच्च स्तरीय समिति और कर्मचारियों के फेडरेशनों के बीच बैठक, मजदूरों के राष्ट्रीय कन्वेंयान के दिन तारीख 30 सितंबर को तय करते हुए 24 सितंबर को अधिसूचना जारी की।

<b>MINISTRY OF DEFENCE DEPTT OF DEFENCE PRODUCTION PLANNING-V</b>  <b>SUBJECT: High Level Official Committee to interact with the Federations/ Confederation of OFB regarding the proposed restructuring of Ordnance Factory Board- Meeting Notice.</b>  In order to examine various aspects related to the proposed re-structuring of Ordnance Factory Board and to make suitable recommendations to the Government after due consultation with the Federations/ Confederation of OFB, a High Level Official Committee (HLOC) under the chairmanship of Additional Secretary (Defence Production) has been constituted with the approval of Hon'ble RM.  2. The Terms of Reference (TOR) of the Committee are as under:- a) To work out ways to safeguard the benefits/interests of employees in terms of wages, health facilities and other service matters etc. due to converting OFB into a Public Sector entity. b) To assess the requirement for budgetary support for salaries of employees of OFB c) To assess the concerns regarding future orders for the proposed new entity in view of the difficulties being faced in the present set up. d) To work out the road-map for increasing the turnover of the proposed entity from the current levels to Rs. 30,000 crore. e) To assess the viability of some of the factories as Public Sector entities.  3. The first meeting of the Committee is scheduled to be held at 1500 hrs on 30 Sep 2019 in Room No. 111, South Block.  4. It is requested to kindly make it convenient to attend the above meeting (maximum two members from each Federation/ Confederation). It is also requested to forward your view points on the above issues as mentioned in the TOR, in advance, for consideration of the committee.  (R S Ghanghus) DPO (G) Tele: 23016272  MoD ID No 1 (5)/2019/OFB/DP (Plg-V)      Dated 24 Sept 2019
--

अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि सरकार ने पहले ही ओएफबी के निगमीकरण पर अंतिम निर्णय ले लिया है। प्रस्तावित चर्चा मुख्य रूप से निगमीकरण के बाद के मामलों, जैसे कि मजदूरों की सेवा से संबंधित मुद्दों, उत्पादन बढ़ाने की प्रतिबद्धता और निगमीकरण के बाद व्यवहार्यता के आधार पर कुछ एक प्रतिष्ठानों को बंद करने की प्रतिबद्धता आदि पर होगी।

# राज्यों से

दिल्ली

## नगर निगम मजदूरों के संघर्ष की जीत

एन्टी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में दिल्ली के तीन नगर निगमों में ठेका मजदूर के रूप में कार्यरत 3500 डोमेस्टिक ब्रीडिंग चैकर्स को अपनी अनिश्चितकालीन हड्डताल के बाद 16 सितम्बर को तब जीत हासिल हुई जब समझौते पर पहुँचा गया जिसके ब्यौरे पर तीनों नगर निगमों के प्रबंधन, यूनियन के नेताओं व सीटू की दिल्ली राज्य समिति के नेताओं के हस्ताक्षर हुए। इस हड्डताल में 90 प्रतिशत मजदूर शामिल थे तथा निगम के मुख्यालय सिविक सेंटर के सामने हजारों मजदूर धरने में शामिल हुए थे।

समझौते के अनुसार, सभी 3500 ठेका डी बी सी मजदूरों को स्थायी श्रेणी में समाहित किया जाएगा— करीब 600 मजदूरों को दिसम्बर, 2019 के भीतर वर्तमान में खाली पड़े पदों पर नियमित किया जायेगा तथा शेष को वरिष्ठता के आधार पर, रिक्विट्यां होने पर या अतिरिक्त पद मंजूर होने पर चरणबद्ध ढंग से नियमित किया जाएगा। यह भी सहमति बनी कि सेवारत डी बी सी मजदूर की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। समझौते को लागू करने के लिए, उत्तरी व दक्षिणी नगर निगमों ने दिल्ली सरकार व केन्द्रीय वित्त मंत्रालय को पहले ही कमशः 1400 व 1350 अतिरिक्त पदों की मंजूरी के लिए लिख दिया है। पूर्वी नगर निगम में यह प्रक्रिया में है।

एम सी डी द्वारा डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण के लिए 1996 में दिहाड़ी मौसमी (सीजनल) वर्करों के तौर पर डी बी सी की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 2010 से उनसे वर्ष भर बिना अंतराल के काम लिया गया तथा उन्हें टैक्स कलेक्शन के लिए घरों में नोटिस देने, अवैध होर्डिंग हटाने, फॉर्गिंग, फोकल स्प्रे, आदि कार्यों में लगाया गया। इतने पर भी वे न्यूनतम वेतन वाले ठेका मजदूर ही रहे जिन्हें कोई वैधानिक लाभ नहीं मिल रहे थे।

इस पृष्ठभूमि में, सीटू की पहल पर उन्होंने 2016 में यूनियन बनाई और तबसे उनका संघर्ष शुरू हुआ जिनमें प्रबंधन द्वारा पहले दिये आश्वासनों को पूरा करने में असफल रहने पर 18 जनवरी व 29–30 अगस्त, 2017 की हड्डतालें भी शामिल हैं। 30 अगस्त, 2017 को उन्हें पहली सफलता तब मिली जब 12 दिनों की कैजुअल लीव, छुट्टियां व मातृत्व अवकाश, बोनस, पी एफ व ई एस आई जैसे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले लाभों समेत कई वैधानिक व अन्य लाभों को बाद में लागू किया गया। तथापि, नौकरी को स्थायी करने का आश्वासन छलावा ही बना रहा। इसके बाद 16 सितम्बर, 2019 को नियमित किये जाने के बारे में हुआ समझौता उनकी दूसरी बड़ी जीत है।

## राजस्थान

### विधान सभा पर आशा मजदूरों का मार्च व रैली

अलग—अलग जिलों से आयी हजारों आशा वर्करों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर 23 जुलाई को विधान सभा पर राज्य स्तरीय मार्च निकाला। विधान सभा पहुँचने पर मार्च एक रैली में बदल गया और प्रदर्शन किया गया व जन सभा हुई जिसे सी पी आई (एम) के विधायक बलवान पूनियां, सीटू के राज्य नेताओं रविंद्र शुक्ला, वी एस राणा व अन्य ने संबोधित किया। एक प्रतिनिधि 1 मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से मुलाकात की तथा अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया।

**पारिश्रमिक में वृद्धि :** आशा वर्करों के आंदोलन व माँगों को सी पी आई (एम) के विधायकों बलवान पूनियां व गिरधारी लाल महिया ने भी सरकार के समक्ष उठाया। 29 जुलाई को गहलोत सकरार ने आशा वर्करों के पारिश्रमिक में 200 रुपये प्रतिमाह की वर्षद्वितीय करने के कैबिनेट के फैसले की घोषणा की।

## छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के रिक्लाफ मजदूरों का विरोध

सीटू की जिला कमेटी के नेतृत्व में सीकर में सीटू यूनियनों के हजारों मजदूरों ने छात्रों पर 28 अगस्त को छात्र संघ चुनाव की मतगणना को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस के लाठी चार्ज व स्थानीय सी पी आइ (एम) कार्यालय पर हमले के विरोध में 3 सितम्बर को जुलूस निकाला तथा दोषी पुलिस व नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मँग की। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। मजदूरों की रैली को सीटू के राज्य नेताओं हजारी लाल शर्मा, जिले के नेताओं सुभाष नेहरा तथा यूनियनों के राज्य व जिला नेताओं ने संबोधित किया। पहले एस एफ आइ तथा बाद में सी पी आइ (एम), सीटू व अन्य संगठनों के भारी आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कप्तान का तबादला कर पुलिस कार्रवाई की जाँच गठित की।

### डॉयकिन के मजदूरों का विरोध



200 दिनों से ज्यादा के लगातार संघर्ष के बाद नीमराना में जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनी डॉयकिन एअरकंडीशनिंग के सैकड़ों मजदूर 8 अगस्त को 70 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय अलवर पहुँचे तथा डॉयकिन एअरकंडीशनिंग मजदूर यूनियन के अध्यक्ष रुकमुद्दीन व महासचिव दौलमराम तथा सीटू व एटक के जिले के नेताओं ने नेतृत्व में स्थानीय बस अड्डे से जिला कलेक्टर कार्यालय तक मोर्चा निकाला, प्रदर्शन व जनसभा की तथा 8–9 जनवरी, 2019 की राष्ट्रव्यापी हड्डताल में शामिल होने तथा नीमराना में 'जापानी जोन' में फैक्टरी गेट के सामने प्रदर्शन करने को लेकर राजस्थान पुलिस द्वारा उन पर बनाये गये झूठे मुकदमों को फौरन वापिस लिए जाने की मँग करते हुए ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा।

आंदोलन व त्रिपक्षीय बैठक के बाद काम पर आने से रोके गये स्थायी कर्मी अब काम पर लौट गये हैं ; ठेका मजदूरों व अन्य मुद्दों को लेकर बातचीत के लिए बैठकें हो रही हैं ; तथा सरकार की कार्रवाई व कानूनों के उल्लंघन को लेकर यूनियन व सीटू की ओर से दायर याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

### पश्चिम बंगाल

### द्वारापुर में निजीकरण विरोधी कन्वेंशन

'सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ' जन कन्वेंशन का आयोजन केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों— सीटू, इंटक, एटक एचएमएस, यूटीयूसी, टीयूसीसी; तथा चितरंजर लोकोमोटिव वर्कर्स संयुक्त मंच, अलॉय स्टील प्लांट आफिसर्स यूनियन बेफी, 12 जुलाई कमेटी, एआइकेएस, डी वाई एफ आइ, एसएफआइ, व एडवा की ओर से 27 जुलाई, 2019 को सृजनी ऑडिटोरियम दुर्गापुर में संयुक्त रूप से किया गया। सीटू के पश्चिम बंगाल राज्य अध्यक्ष सुभाष मुखर्जी ने अध्यक्षता की। राज्य महासचिव अनादि साहू ने, विशेष इस्पात संयन्त्रों—

एसएसपी व वीआइएसपी का निजीकरण बंद करो; सीएलडब्ल्यू को खत्म करना बंद करो; ब्रिज एंड रुफ, एनटीपीसी व एअर इंडिया, पीसीएल व गवर्नमेंट प्रेस का विनिवेश या बंदी व निजीकरण बंद करो; जैसी माँगों वाला कन्वेशन का प्रस्ताव पेश किया।

मुख्य वक्ता के तौर पर कन्वेशन को संबोधित करते हुए सीटू महासचिव तपन सेन ने इसको (आइआइएससीओ) आंदोलन की सफलता व इतिहास की याद दिलाई जिसमें इसको की बिक्री के स्थान पर सरकार को इसको के आधुनिकीकरण के लिए 16,000 करोड़ का निवेश करने के लिए मजबूर किया गया था। इंटक राज्य अध्यक्ष एम.क्यू. कमर तथा यूटीयूसी महासचिव अशोक घोष ने भी कन्वेशन को संबोधित किया।

कन्वेशन का समापन करते हुए सुभाष मुखर्जी ने कन्वेशन की माँगों को लेकर चितरंजन लोकोमोटिव के गेट से कोलकाता में राजभवन तक 280 किलोमीटर पदयात्रा की घोषणा की।

## असम

### आंगनवाड़ी कर्मियों का 7वाँ राज्य सम्मेलन

सीटू की आंगनवाड़ी यूनियन, असम राज्यिक आंगनवाड़ी कर्मी व सहायिका संस्था का 7वाँ राज्य सम्मेलन 8–10 जून को दरांग जिले के मंगलडोई में संपन्न हुआ। सम्मेलन की शुरुआत 3000 आंगनवाड़ी कर्मियों की रैली व जनसभा के साथ हुई जिसकी अध्यक्षता स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉ. रमाकान्त बोरा ने की तथा सीटू की राष्ट्रीय सचिव व उसकी आंगनवाड़ी फेडरेशन आइफा की अध्यक्ष ऊषारानी, सीटू राज्य महासचिव तपन शर्मा, यूनियन की महासचिव इंदिरा नेवार व उसकी नेता पुष्पलता दास ने संबोधित किया।

सम्मेलन में 23 जिलों के 32,400 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए 230 ब्लाकों के 274 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधि सत्र द्वारा उद्घाटन ऊषारानी ने किया। इंदिरा नेवार द्वारा पेश महासचिव की रिपोर्ट पर 32 प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया। सम्मेलन ने सर्वसम्मति से 21 पदाधिकारियों का चुनाव किया जिनमें जयमती दास को अध्यक्ष, निकोदा ककाती को कार्यकारी अध्यक्ष, इंदिरा नेवार को महासचिव व रत्ना सूर को कोषाध्यक्ष चुना गया। अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए 46 प्रतिनिधियों का भी चुनाव किया गया। (योगदान : तपन शर्मा)

## तमिलनाडु

### असाही ग्लास में हड़ताल

कांचीपुरम में जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनी असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड जो हुड़ंई, फोर्ड रेनॉ, निसान, महिन्द्रा आदि के लिए कारों के शीशे बनाती है के स्थायी मजदूरों ने, सीटू के नेतृत्व वाली नई बनी यूनियन के 28 पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बर्खास्तगी के खिलाफ, प्रबंधन, सरकार व पुलिस की धमकियों का सामना करते हुए 11 अप्रैल, 2019 से हड़ताल कर दी। अंततः जिला कलेक्टर के बुलाने पर 18 जून को एक त्रिपक्षीय बैठक हुई जिसमें डी एल सी व सीटू नेता उपस्थित थे जो 20 जून की सुबह तक चली। इसमें एक समझौते पर पहुँचा गया जिसमें प्रबंधन ने यूनियन के साथ द्विपक्षीय चर्चा करने तथा यूनियन के नेताओं की बर्खास्तगी के मुद्दे को सुलझाने का आश्वासन देने के बाद यूनियन द्वारा हड़ताल समाप्त करने की बात हुई।

### आंगनवाड़ी कर्मियों का प्रदर्शन

घोषित बढ़े हुए पारिश्रमिक को लागू करने की माँग तथा वर्कलोड बढ़ाने के सरकार के कदम व निजीकरण के खिलाफ तथा अन्य माँगों को लेकर तमिलनाडु आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन (सीटू) ने 22 जिलों के 421 ब्लाकों में प्रदर्शन किये जिनमें लगभग 15,000 आंगनवाड़ी कर्मियों ने भाग लिया।

## कर्नाटक

# सेस समाप्त करने के रिक्लाफ निर्माण मजदूरों का विरोध



सीटू, एटक, इंटक, एन सी एल व एच एस के संयुक्त नेतृत्व में निर्माण मजदूरों की राज्य यूनियनों के राज्य भर से आये 5000 से ज्यादा निर्माण मजदूरों ने 19 सितम्बर को बंगलुरु के फीडम पार्क में मोदी सरकार के प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा कोड में बिल्डिंग व अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेर सेस एक्ट, 1996 को समाप्त करने के प्रस्ताव के विरोध में विशाल रैली व सभा की। राज्य सरकार की ओर से उसके श्रम सचिव ने कल्याण बोर्ड के अधिकारियों के साथ फीडम पार्क पहुँचकर ज्ञापन लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मजदूरों की समस्याओं व चिंताओं को मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जायेगा और कल्याण बोर्ड संबोधित मुद्दों के समाधान की कोशिश की जायेगी।

इसके पहले, 17 जुलाई को एक गोलमेज बैठक हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सेनानिवृत्त न्यायाधीश वी. गोपाल गौड़ा कानूनी विषेषज्ञ की हेसियत से शामिल हुए थे। 9 अगस्त को जिला स्तरीय संयुक्त प्रदर्शन किये गये तथा प्रस्तावित कदम के विरोध में हजारों पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भेजे गये।

## पंजाब

### आशा मजदूरों की रैली

पंजाब में आशा वर्कर्स एंड फेसिलीटेटर्स यूनियन, (सीटू) के आवान पर 29 सितम्बर को मोहाली में स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के दफतर के बाहर जुझारु प्रदर्शन किया गया। पुलिस द्वारा रैली को रोकने की कोशिश के बावजूद आशा कर्मियों ने रैली की। अंततः जिला प्रशासन ने रैली स्थल पर आकर ज्ञापन लिया। सरकार ने 25 सितम्बर को निदेशक स्तर की बैठक करने का आश्वासन दिया।

रैली को सीटू के राज्य महासचिव रघुनाथ सिंह यूनियन की नेताओं, रणजीत कौर, सरोज कुमारी सुखजीत कौर व अन्य सीटू नेताओं जितिंदर पाल सिंह, सुच्चा सिंह अजनाला, केवल हजारा, रजिन्दर कौर व अन्य ने संबोधित किया।

# कामकाजी महिलाएं

## अखिल भारतीय समन्वय समिति के फैसले

(ब्रिंगलोर; 6 अगस्त, 2019)

ए.आर. सिंधु

### कामकाजी महिलाओं के मुद्दे

हाल ही में जारी श्रम शक्ति सर्वेक्षण दिखता है कि भारत में रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी की दर में लगातार कमी आयी है। यह दर 2004 के 41.6 प्रतिशत से तेजी से घटकर 2017–18 में 22 प्रतिशत पर आ गई है। यह कार्यों में महिलाओं की भागेदारी के केवल एक पहलू को दिखाता है जो 'मजदूर के मुख्य दर्जे' की परिभाषा में आता है।

जारी कृषि संकट और बढ़ती बेरोगारी के चलते महिलायें अधिक संख्या में रोजगार की तलाश में श्रम शक्ति में शामिल हो रही हैं। वे ऐसे काम करने के लिए बाध्य हैं जिन्हे 'काम' गिना ही नहीं जाता और जिन्हे हिसाब में नहीं लिया जाता। महिलाओं के शोषण के स्तर का आकलन और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के आकलन के लिए ऐसे रोजगारों को भी गिनती में शामिल करना आवश्यक है।

महिलाओं के वेतन आश्चर्यजनक रूप से कम हैं। महिलाओं के वेतन ग्रामीण इलाकों में पुरुषों से 34 प्रतिशत कम और शहरी इलाकों में 19 प्रतिशत कम हैं। भारत में जेंडर वेतन अंतर दुनिया में सबसे अधिक है। यह उच्च योग्यता व वरिष्ठता के साथ बढ़ जाता है।

अधिकतर महिलाओं को मातृत्व लाभ व शिशु घर की सुविधायें नहीं मिलती हैं। उन पर रात्रि पाली का काम थोपा जा रहा है। हाल ही में 'समानता' के नाम पर महिलाओं से भूमिगत काम कराने के लिए माइन्स एकट को संशोधित किया गया है।

हाल ही में गन्ने की कटाई में लगी महिला मजदूरों द्वारा बाध्य किये जाने पर अपने गर्भाशय निकलवा देने की कहानियाँ सामने आयी हैं। वस्त्र उद्योग में लगी महिलाओं को मासिक चक रोकने के लिए गोलियाँ दी जा रही हैं। इससे पता चलता है कि पूंजीवादी व्यवस्था अपने मुनाफे के लिए किस तरह महिलाओं के स्वास्थ्य की पूरी तरह उपेक्षा करती है।

नवउदारवाद के अन्तर्गत कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न समेत महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध हिंसा दिन पर दिन चिंताजनक स्थिति में पहुँचती जा रही है। धार्मिक कट्टरता महिलाओं के लिए रिथितियों को बदतर बना रही है।

हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि मुद्दों को सामने लाया जाये और आंदोलन व संघर्ष खड़े किये जायें।

### गतिविधियों की समीक्षा

31 अक्टूबर, 2019 को हुई अखिल भारतीय समन्वय समिति की पिछली बैठक ने कुछ फैसले लिए थे— कामकाजी महिलाओं के मुद्दों को लेकर अभियान ; कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियाँ बनाने का फैसला दोहराया था ; वर्गीय दृष्टि से कामकाजी महिलाओं पर चर्चा ; महिलाओं के खिलाफ हिंसा या बिरादराना ट्रेड यूनियनों के साथ सर्व व संयुक्त अभियान ; तथा 'वॉयस ऑफ वर्किंग वूमेन' तथा 'कामकाजी महिला के सर्कुलेशन के लिए कोटा तय करना। मगर केरल को छोड़कर शेष जगहों से इस बारे में कार्यान्वयन रिपोर्ट नहीं है।

### अन्दरुनी शिकायत समिति

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में सीटू की राष्ट्रीय कार्यशाला में विषय पर तथा उसके साथ ही संगठन के भीतर भी, इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई थी। कार्यशाला ने संगठन के भीतर यौन उत्पीड़न के मुद्दे को संबोधित करने के लिए प्रभावी तंत्र गठित करने की सिफारिश की थी। 1–3 नवम्बर, 2018 तक विशाखापट्टनम में सीटू वर्किंग कमेटी ने मुद्दे पर फिर से चर्चा कर यौन उत्पीड़न पर हुई कार्यशाला की सिफारिशों को लागू करने के फैसले को दोहराया।

तदनुसार, सीटू के केन्द्रीय कार्यालय के स्तर पर एक अंदरुनी शिकायत समिति का गठन किया गया। सीटू की सभी राज्य समितियों को अंदरुनी शिकायत समितियां गठित करने को कहा गया जिनमें ऐसे मामलों से निपटने का अनुभव रखने वाली एक बाहरी सदस्य समेत समिति की कम से कम आधी सदस्य महिलायें हों। समिति की अध्यक्ष महिला होनी चाहिये।

## **कामकाजी महिला समन्वय समितियों के कन्वेशन**

यह फैसला किया गया था कि कामकाजी महिलाओं के राज्य व जिला कन्वेशन के आयोजन के लिए समुचित योजना बने तथा इन कन्वेशनों में, सीटू के जिला व राज्य सम्मेलनों के साथ, कामकाजी महिलाओं की संबंधित राज्य व जिला समितियाँ बने। पहले ऐसा किया जाता था कि कामकाजी महिलाओं के कन्वेशन सीटू के जिला व राज्य सम्मेलनों से पहले किये जाते थे।

सीटू के 15वें सम्मेलन के यह भी तय किया था कि बेहतर कामकाज के लिए कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय, राज्य व जिला समन्वय समितियों के ढांचे में बदलाव किया जाये। अभी तक 12 राज्य कामकाजी महिला समन्वय समितियाँ (सीटू) गठित हो चुकी हैं। यह आवश्यक है कि संबंधित समितियों द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन की जो अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीटू) के 11वें सम्मेलन में लिये गये थे, समीक्षा की जाये।

## **सीटू सम्मेलन**

यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हर स्तर के सीटू सम्मेलनों में कामकाजी महिलाओं की भागेदारी समानुपाती हो तथा महिलाओं की सदस्यता के अनुपात के हिसाब से कम से कम 25 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि हों। सीटू की विभिन्न समितियों में भी महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। सीटू के सम्मेलनों में कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर काम की समुचित समीक्षा होनी चाहिये।

## **भविष्य के काम**

1. एडवा व ए आइ एल यू के साथ मिलकर पी ओ एस एच एक्ट व उनके क्रियान्वयन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन ;
2. नवम्बर, / दिसम्बर, 2019 में कामकाजी महिलाओं के मुद्दों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार।
3. कामकाजी महिलाओं के मुद्दों पर दो महीने का राष्ट्रीय अभियान जिसका समापन 8 मार्च, 2020 को कामकाजी महिलाओं के 'जेलभरो' के साथ हो। सीटू के सम्मेलनों से इसका आवान किया जा सकता है।
4. सीटू के सभी स्तरों के सम्मेलनों में समितियों महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व (सदस्यता के अनुपात में कम से कम 25 प्रतिशत) सुनिश्चित हो। सभी सम्मेलनों में कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर काम की समीक्षा हो।
5. मार्च 2020 में राष्ट्रीय कन्वेशन, उसके पूर्व सभी राज्यों में कन्वेशन कर लिए जायें।

(ए.आर. सिंधु कामकाजी महिला अखिल भारतीय समन्वय समिति की राष्ट्रीय संयोजक व सीटू की सचिव है)

## **उन्नाव बलात्कार पीड़िता पर हमले के खिलाफ**

सीटू ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता व उसके परिवार व वकील पर सङ्क दुर्घटना की आड़ में किये गये नृशंस जानलेवा हमले के खिलाफ विरोध का आवान किया। 28 जुलाई को किये गये इस हमले में पीड़िता की चाची व मौसी की मौत हो गई और पीड़िता व उसका वकील जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आदित्यनाथ सरकार पिछले दो वर्ष से भाजपा विधायक के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को नजरंदाज करती आ रही थी। पीड़िता के पिता की पुलिस हिसासत में पिटाई की गई। सीटू समेत कितने ही जनसंगठनों ने देश के विभिन्न भागों में इसके विरोध में प्रदर्शन किये। दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन पर सीटू, एडवा, डी वाई एफ आइ व एस एफ आइ ने संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया जिसे सीटू राज्य अध्यक्ष विरेन्द्र गौड़ ने संबोधित किया हरियाणा में सीटू यूनियनों ने अन्य जनसंगठनों के साथ मिलकर कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। जींद में 31 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। रैली को सीटू के नेता कश्मीर सिंह सोनवाल, एडवा की संतोष उचाना तथा खेतमजदूर यूनियन के प्रकाश चंद्र ने संबोधित किया।

# vks| kfxd Jfedka ds fy, mi HkkDrk ew; I pdkd vk/kkj o"kl 2001=100

ua 112@6@2006&, ul hi hvkbz

jkT;	dnz	tu 2019	tykbz 2019	jkT;	dnz	tu 2019	tykbz 2019
vkdk i ns k	xq Vj	297	295	महाराष्ट्र	मुम्बई	309	312
	fot; ckMk	301	303		ukxi j	393	403
	fo'kk[ki Ykue	297	299		ukfl d	360	362
vl e	MeMek frul f[k; k	278	286		i q ks	344	351
	xpkglVh	278	286	mMhI k	'kksyki j	331	335
	ycd fl Ypj	278	279		vkxg&rkypj	332	335
	efj; kuh tkjgkV	262	266	i kfMpfj	j kmj dsk	319	319
	jaki ljk rst ij	259	262	i atkc	i kfMpfj	323	324
fcgkj	eokj & tekyij	345	354		verl j	338	342
p. Mhx<+	p. Mhx<+	311	317		tkyl/lj	323	325
NYkl x<+	flkykbz	332	332	jktLFku	yf/k; kulk	297	298
fnYh	fnYh	302	307		vtej	290	294
Xksvk	xksvk	333	342		HkhyokMk	293	298
Xkgjkr	vgenckn	283	285		t; ij	309	320
	Hkouxj	299	301	rfeyukMq	psus	287	286
	jkt dkV	299	300		dk; EcVj	293	287
	I jr	276	278		dliuj	341	339
	oMknjk	279	282		enj kbz	305	302
gfj ; k. kk	Ojhinkcn	278	280		l sye	301	300
	; euk uxj	299	304		fr#fpj ki Yh	305	305
fgekpy	fgekpy cns k	272	274	ryakkuk	xknkojh[kkuh	335	343
tEew , oa d' ejj	Jhuxj	276	281		gkjckn	270	270
>kj [k. M	ckdkj ls	307	308		okjxy	327	326
	fxfj Mhg	345	349	f=ijk	f=ijk	265	267
	te' kni j	357	365	mYkj cns k	vkxjk	357	365
	>fj; k	361	371		xkft; kckn	335	340
	dkMekz	386	391		dkuij	343	348
	jkph gfv; k	383	396		y[kuA	339	346
dukVd	cayxke	309	312	i f pe caky	oljk. kl h	335	340
	cayy#	300	299		vkli ul ky	337	344
	gcyh /kj okM+	335	342		nkftiyak	278	278
	ej djk	312	313		njkj j	333	332
	eij	319	318		gfyh; k	339	362
djy	, .kkdgye@vyobl	325	322		gkoMk	294	294
	eq MKD; ke	322	320		tkyikbixMh	280	288
	fDoyku	373	372		dkydkrk	290	291
e/; cns k	Hkki ky	330	336		jkuhxat	293	296
	fNnokMk	311	314		fl ytxMh	283	287
	bnsj	285	289				
	tcyij	323	326				
				vf[ky Hkkjrh; I pdkd		316	319

## सीटू का मुख्यपत्र

### सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए
- एजेंसी
- भुगतान

वार्षिक ग्राहक शुल्क – रु 100/-

कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;  
चेक द्वारा – ‘सीटू मजदूर’ जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा,

नई दिल्ली-110002 पर देय

बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीनो 0158101019568;

अस्सिसीकोड : सीएनआरबी 0000158;

ई मेल / पत्र की सूचना के साथ

प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,

13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली-110002; ईमेल: citubtr@gmail.com

फोन: (011) 23221306 फैक्स: (011) 23221284

- संपर्क:

## 2 अगस्त देशव्यापी विरोध

(रिपोर्ट पृ. 9)



जालंधर, पंजाब



तिरुप्पुरम्, केरल

गुवाहाटी, असम



कुअर, ओडीशा

विजाग, आन्ध्र प्रदेश



संसद मार्ग, दिल्ली

पटना, बिहार



## 2 अगस्त देशव्यापी विरोध

(रिपोर्ट पृ. 9)



चेन्नै और त्रिची, तमில்நாடு



रांची और कथारा, झारखण्ड



रायपुर, छत्तीसगढ़



जयपुर और नीमराना, राजस्थान